खण्ड-321, अंक-6
शुक्रवार, 10 वैशाख, शक संवत् 1898
(30 अप्रैल, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 321 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	439–441
प्रश्नोत्तर	442–471
जैतपुर, जिला फैजाबाद के थानाध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	471
सदस्य, विधान सभा, श्री खूब चन्द के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में एटा जिले के पुलिस अधिकारियों के विरद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी)	472–473
1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व, अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी, अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर (जारी) ..	474–479
सदस्य, विधान सभा, श्री खूब चन्द के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में एटा जिले के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी)	479–480
1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व, अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी, अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर (जारी) ..	480–482
सदस्य, विधान सभा, श्री खूब चन्द के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में एटा जिले के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	482–491
1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व, अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी, अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर (स्वीकृत)	492–493
नियम 51 की सूचनाएं	494
नत्थियां	495–504

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 30 अप्रैल, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष; श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---233

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र पाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्तिकुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री

जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोतम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री

रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवतीशरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द वाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीता राम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट--राज्य स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल तथा ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 30 अप्रैल, 1976

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

ग्राम सुल्तानपुर, बलिया में अग्निकान्ड

**1—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या सरकार को जानकारी है कि बलिया जिले के विकास खंड मनियर के ग्राम सुल्तानपुर में दिनांक 26 मार्च, 1976 को भीषण आग लगी जिसमें 66 परिवारों की लाखों रुपए की सम्पत्ति तथा अन्य जान-माल की क्षति हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत हेतु क्या-क्या कदम उठाए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

बलिया जिले के विकास खंड मनियर के ग्राम सुल्तानपुर में दिनांक 26 मार्च, 1976 को जो अग्निकाण्ड हुआ था उसमें 74 परिवार प्रभावित हुए और लगभग 3,86,700 रुपए की सम्पत्ति की क्षति हुई। 1 गाय, 1 बछड़ा, 9 बकरियां तथा 4 मुर्गियां जल कर मर गईं। कोई जन-हानि नहीं हुई। अलबत्ता आग बुझाने की प्रक्रियां में 20 व्यक्ति आग की लपट से मामूली तौर से प्रभावित हुए थे जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा तुरन्त उपलब्ध कराई गई तथा उक्त 74 प्रभावित परिवारों की कुल 4,810 रुपए अहेतुक सहायता के रूप में तथा 7,400 रु0 गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया।

श्री रघुनाथ—

माननीय मन्त्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि 3 लाख रुपया की जो क्षति हुई है और जो सहायता दी गयी, क्या वह पर्याप्त है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जिन्होंने मांगा और जिनको आवश्यक समझा गया, उनको दिया गया और जिन्होंने नहीं मांगा उनको नहीं दिया गया।

श्री रघुनाथ—

मान्यवर, जो धन दिया गया वह अधिक से अधिक आपके यहां देने का क्या प्राविधान है तथा जितना धन दिया गया, वह उनको मिला है कि नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, अधिक से अधिक 200 रुपए और कर्ज, जितना वह मांगते हैं, हैसियत के मुताबिक उनको मिलता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि गरीब लोग हैं और काफी नुकसान हो गया है और जो अधिक से अधिक 200 रुपए और कम से कम 100 रुपए दिया जाता है, जो कि नुकसान को देखते हुए कम दिया गया है। तो क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि उनको कुछ और सहायता बढ़ा दी जाय ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, माननीय सदस्य यदि ऐसा प्रार्थना पत्र उनसे ले लेंगे कि उनको कुछ और दिया जाय तो अवश्य दिया जाएगा।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, जिन लोगों ने मांगा उस तरह से दिया है और जहां तक मांगने का सवाल है, तो उन्होंने एक लाख की मांग की है और मैंने भी प्रार्थना-पत्र मन्त्री जी के पास भेजा है कि सहायता और बढ़ाने पर विचार करें तो क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैंने ऊदल जी के प्रश्न पर कहा है कि यदि और होगा तो विचार कर लिया जाएगा। आंशिक तो दिया जाता है, नुकसान तो दिया नहीं जा सकता ? सहायता राहत के लिए दी जाती है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं यह सूचना बता दूं कि बलिया जनपद में विदेशी पादरियों की संस्थाओं ने जिलाधीश को गेहूं दिया है और जहां-जहां आग लगी है, उनको एक-एक-क्विन्टल गेहूं जिलाधीश दे देंगें और जो सहायता आती है, उनको पहुंचाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप मन्त्री जी की जगह पर बोल रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, जिलाधीश से बात हुई है और जहां-जहां आग लगी है, उनको सहायता दी जा रही है।

श्री रघुनाथ—

इस अग्निकांड की सूचना ले कर कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन कलेक्टर के यहां गया, इस निवेदन के साथ कि इसकी जांच करा ली जाय, लेकिन कलेक्टर महोदय बंगले से नहीं निकले, तो क्या माननीय मन्त्री इस बात को सच मान कर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह सही नहीं है। कलेक्टर साहब बंगले से बाहर निकले थे।

श्री अध्यक्ष—

श्री काशीनाथ मिश्र, मन्त्री जी को उत्तर देने दें, उत्तर देने में वह उनकी सहायता भले ही करें लेकिन स्वयं उत्तर न दें।

(मन्त्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया।)

श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

राजस्व विभाग के जो नियम हैं उनमें केवल 200 रुपए अनुदान देने का प्राविधान है, तो क्या मन्त्री जी इसको बढ़ाने का प्राविधान करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कोई ऐसा बार नहीं है कि 200 रुपए की ही सहायता दी जाय। आंशिक सहायता भी दी जाती है।

श्री जयनारायण सिंह—

मेरा प्रश्न यह था, कि आजकल महंगाई को देखते हुए, यह जो 200 रुपए की सहायता देने का प्राविधान बहुत दिनों से चला आ रहा है, इसको नियमों में संशोधन कर के बढ़ाने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जफर आदमी (जिला आजमगढ़)—

इस अग्निकांड से जितने परिवार क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्या सरकार उनका लगान, पानी तथा बिजली का कर माफ कर देगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह तो जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री जागेश्वर (जिला फ़तेहपुर)—

आग लगने पर 200 रुपए का अनुदान उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनके पास कोई जायदाद या जमीन न हो और वे हरिजन हैं, तो क्या उसी तरह से कोई सवर्ण लोगों को भी अनुदान दिए जाने का प्राविधान किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना सुझाव लिख कर मन्त्री जी के पास भेज दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इस अग्निकांड के दूसरे दिन कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन जिलाधीश से मिलने उनके बंगले पर गया, लेकिन इससे वह नहीं मिले ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

जिन परिवारों के चोट-चपेट आई थी और उनकी प्राइमरी चिकित्सा करा दी गयी तो वह किस अधिकारी ने कराई और कब वह अधिकारी पहली बार मौके पर पहुंचा और जो अनुदान दिया गया है, वह इस घटना के कितने दिन बाद दिया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, प्राथमिक चिकित्सा का जो अस्पताल नियरेस्ट होगा, वहीं कराया गया होगा। किसने किया, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। कितने दिन बाद बांटी गई, इसकी सूचना भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बहराइच वन प्रभाग के भिनगा तथा सुहेलवा रेंज के माफीदार ग्रामों को लकड़ी की आपूर्ति

*1—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या वन मन्त्री कृपया बताएंगे कि बहराइच जिले के भिनगा व सुहेलवा जंगलात के माफीदार गांवों को तीन वर्ष से माफी की लकड़ी देना बन्द कर दिया है और इस सम्बन्ध में दिनांक 26 फरवरी, 1975 को कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी साथ ही वे कौन-कौन माफीदार गांव हैं जिन्हें माफी लकड़ी नहीं दी गयी और किन-किन गांवों को दी गयी है ?

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जी नहीं। इस सम्बन्ध में दिनांक 26 फरवरी, 1975 का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ। जांच से विदित हुआ है कि भिनगा रेंज के समस्त माफीदार गांवों को स्थानीय समिति के सलाह पर ग्राम प्रधानों के माध्यम से सर्वदा की भांति विगत तीन वर्षों में भी सब माफी के गांवों को लकड़ी दी गयी है। इन गांवों की सूची संलग्नक 1 में दी हुई है।

सुहेलवा रेंज में वर्ष 1972-73 में माफी की लकड़ी 26 में से 18 गांवों को दी गयी परन्तु वर्ष 1973-74 में जिलाधिकारी से माफी का इन्डेंट प्राप्त नहीं हुआ था तथा वर्ष 1974-75 में माफी का इन्डेन्ट विलम्ब से प्राप्त हुआ था। इसलिए इन दो वर्षों में माफी की लकड़ी नहीं दी जा सकी।

वर्ष 1972-73 में सुहेलवा रेंज में जिन गांवों को माफी की लकड़ी दी गयी और जिन गांवों को माफी की लकड़ी नहीं दी गयी उनकी सूची संलग्नक 2 में है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 495–497 पर।)

ग्राम गौरीकला, बांदा की गांव समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*2—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें व शासन को सन् 1972 से लेकर सन् 1975 तक ग्राम गौरीकला तहसील व जिला बांदा के हरिजन भूमिहीनों एवं नवयुवक ग्राम सेवा संघ की ओर से इस आशय के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं कि गांव समाज की लगभग हजारों बीघे जमीन पर गांव के भूतपूर्व जमींदारों एवं असरदार लोगों ने नाजायज कब्जे कर रक्खे हैं और उन्हें कानूनी कार्यवाही कर तत्काल बेदखल किया जाय? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही हुयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां।

इन प्रार्थना-पत्रों एवं रिपोर्ट लेखपाल के आधार पर 208 बीघा 2 बिस्वा के 43 अनधिकृत कब्जे पाए गए इसमें से 39 मुकदमों में 154 बीघा 13 बिस्वा भूमि बेदखल की गयी तथा 63 बीघा 9 बिस्वा के 4 अनधिकृत कब्जों में कब्जेदारों का भूमि में स्वामित्व होने के कारण कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

इसके अतिरिक्त 17 बिस्वा का अनधिकृत कब्जा और पाया गया जिसकी बेदखली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी किन्तु जनवरी, 1974 में यह ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया में आ गया जिसके कारण उक्त कार्यवाही अवैध कर दी गयी।

शाहजहांपुर के कतिपय ग्राम सभाओं के हरिजनों का प्रधानों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3—श्री दधीचि सिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर जिले की तहसील तिलहर की ग्राम सभा मरुआझाला रसेवन, मकरन्दपुर उर्फ विक्रमपुर तथा गौगपुर के प्रधानों के विरुद्ध अनेक प्रार्थना-पत्र व तार भूमि-प्रबन्धक समिति के सदस्यों तथा हरिजनों द्वारा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर, सचिव, राजस्व विभाग तथा राजस्व मन्त्री, उत्तर प्रदेश को दिनांक 1 जनवरी, 1976 से दिनांक 13 फरवरी, 1976 तक भेजे गए जिनमें हरिजनों को भूमि न बांटने; कार्यवाही रजिस्टर पर फर्जी हस्ताक्षर करने तथा बिना प्रस्ताव पास किए हुए जमीन उठाने, रसीद देने की घोर अनियमितताएं हैं? यदि हां, तो सरकार ने जिलाधिकारी द्वारा आज तक जांच क्यों नहीं करायी और प्रधानों के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम के अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती फूलमानी निवासी, ग्राम चैतीटोला, देवरिया की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*4—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रीमती फूलमानी विधवा फेकू साधु, जाति हरिजन, ग्राम चैती टोला, मौजा खुटही, थाना राम कोला, देवरिया का खेत विशुन प्रसाद गुप्त पुत्र महाबीर प्रसाद, सा0 चैती (खुटही), थाना राम कोला ने उक्त हरिजन विधवा को मार पीट कर जोत लिया है? जब कि उक्त खेत हरिजन महिला के जोत में विगत 25-30 वष से था? यदि हां, तो सरकार क्या उक्त हरिजन महिला को उस खेत पर कब्जा दिलाएगी? यदि हां, तो कब तक?

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उक्त हरिजन विधवा फरवरी; तथा मार्च, 1975 में जब अभियुक्त के विरुद्ध रामकोला थाने में रपट लिखाने गई तो रपट लिखी नहीं गई ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम हुसेनपुर बुपाड़ा, मुजफ्फरनगर का राम स्वरूप, भरतू आदि का भूमि संबंधी मुकदमा

*6—श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बुपाड़ा, हसनपुर, तहसील जानसठ, परगना खबींली, जिला मुजफ्फरनगर की खेत नं0 1110 रकबा दो बीघा पन्द्रह विस्वा दो धुर पर भूमिहीन हरिजन राम स्वरूप, हरचन्द सोहनबीर सिंह वगैरह काफी अरसे से काबिज थे ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि को ग्राम समाज ने दूसरे को पट्टे पर दे दिया जिसकी वजह से दफा 145 का मुकदमा कायम किया गया और उपरोक्त काबिजदार जीत गए हैं और पुलिस उनको परेशान कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम हुसेनपुर बुपाड़ा परगना खतौली तहसील, जानसठ जिला मुजफ्फरनगर के खसरा सं0 1110 क्षेत्रफल दो बीघा पन्द्रह बिस्वा के सम्बन्ध में एक वाद उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 115(सी) के अन्तर्गत रामस्वरूप, भरतू, जगवीर सिंह, सोहनबीर सिंह इत्यादि के विरुद्ध तहसीलदार, जानसठ के न्यायालय में सन् 1969 में चला था जिसमें दिनांक 30 अगस्त, 1969 को उक्त व्यक्तियों को बेदखल करने के आदेश हुए थे। इस आदेश के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्व परिषद् में प्रस्तुत किया गया रिवीजन भी दिनांक 21 दिसम्बर, 1971 को निरस्त हो चुका है। दिनांक 30 नवम्बर, 1972 को प्रधान ने गांव सभा की ओर से उक्त भूमि पर दखल भी ले लिया था।

भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 10 सितम्बर, 1968 की उक्त भूमि का पट्टा श्री रमजानी को दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। भूमि का कब्जा मिलने के उपरान्त दिनांक 19 जून, 1973 को श्री रमजानी को भूमि पर दखल दे दिया गया।

इस सम्बन्ध में 145 सी आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत मुकदमा चला था। परगना मजिस्ट्रेट जानसठ ने धारा 145 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत रामस्वरूप आदि का भूमि पर कब्जा मानते हुए दिनांक 30 जून, 1971 को आदेश दिए थे कि उक्त भूमि को विपक्षीगण रामस्वरूप आदि के पक्ष मे मुक्त किया जावे। परन्तु नियम 115(सी) की कार्यवाही में रामस्वरूप आदि बेदखल किए जा चुके थे। अत : प्रधान को 30 नवम्बर, 1972 को भूमि का कब्जा दिलाया गया। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा रामस्वरूप आदि को परेशान नहीं किया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप आदि ने जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(2) के अन्तर्गत उपरोक्त पट्टे को निरस्त कराने हेतु एक वाद दिनांक 12 अक्तूबर, 1975 को दायर किया है जो परनाधिकारी जानसठ के न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री ऊदल—

माननीय, 145 का फैसला इस जमीन पर कब्जा लेने के पहले ही हो गया था। उसके बाद उस पर कब्जा कैसे ले लिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

पहले कब्जा मिल गया था। 145 तो बाद में चलाया गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

145 में जब किसी न्यायालय में कब्जा दर्ज कर दिया गया, तब किस नियम के अन्तर्गत उनको बेदखल करके कब्जा दिलाया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मुझे अफसोस है कि सम्मानित सदस्य प्रगतिशील पार्टी के होते हुए भी ऐसा कह रहे हैं। चूंकि नाजायज कब्जा था, इसलिए उनको हटाया गया। फिर 145 चलाया गया।

श्री ऊदल—

वह भी हरिजन ही हैं।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी सूचना के अनुसार इस समय उस भूमि पर किसका कब्जा है ? रामस्वरूप का है या किसी और का है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

रमजानी का कब्जा है।

श्री हुकम सिंह—

पट्टा निरस्त होने की बात दूसरी है और कब्जा होना दूसरी बात है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें रामस्वरूप का कब्जा है या ग्राम सभा का कब्जा है अथवा रमजानी का कब्जा है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

रमजानी तो रिवीजन भी हार गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग आपस में सवाल जवाब मत करें।

श्री जयनारायण सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 145 का मुकदमा चलने के बाद इस आराजी के बाबत कोई बेदखली का मकदमा चला कि नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ऐसा विवरण शायद इसमें नहीं है। जहां तक कानूनी पहलू का सवाल है, वह तो माननीय सदस्य भी जानते हैं और मैं भी उन्हें बता सकता हूं। लेकिन जो सूचना मेरे पास इस वक्त है, उसमें यह नहीं दिया है।

श्री ऊदल—

अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि इस सम्बन्ध में 145 सी आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत मुकदमा चला था। परगना मजिस्ट्रेट, जानसठ ने धारा 145 द0 प्र0सं0 के अन्तर्गत रामस्वरूप आदि का भूमि पर कब्जा मानते हुए दिनांक 30 जून, 1971 को आदेश दिए थे कि उक्त भूमि को विपक्षीगण रामस्वरूप आदि के पक्ष में मुक्त किया जाये। परन्तु नियम 115 (सी) की कार्यवाही में रामस्वरूप आदि बेदखल किए जा चुके थे। अत : प्रधान को 30 नवम्बर, 1972 को भूमि का कब्जा दिलाया गया। जब धारा 145 का फैसला हो चुका था तो फिर 115 में कार्यवाही करने की क्या जरूरत हुई ? तो एक प्रकार से सब फर्जी हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि पुलिस परेशान कर रही है। क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसका पूरा विवरण ले लेंगे। मेरी सूचना है कि पहले बेदखल हो चुका था उसके बाद 145 चला।

श्री अध्यक्ष—

यही विवाद है। इसमें लिखा है एक वाद दिनांक 12 अक्तूबर, 1975 को दायर किया है।

श्री ऊदल—

इसमें श्रीमन्, मन्त्री जी ने कहा कि ग्राम प्रधान का कब्जा हो चुका है। जवाब के पहले पैरा में कहा गया है। इस आदेश के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्व परिषद् में प्रस्तुत किया गया रिवीजन भी दिनांक 21 दिसम्बर, 1971 को निरस्त हो चुका है। दिनांक 30 नवम्बर, 1972 को प्रधान ने गांव सभा की ओर से उक्त भूमि पर दखल भी दे दिया था। तो उसको पढ़ने से मालूम होता है कि यह आपस में विरोधाभास है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी पुनः जांच करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसमें लिखा है कि भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 10 सितम्बर, 1968 को उक्त भूमि का पटटा श्री रमजानी को दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद ग्राम प्रधान का झगड़ा चला। जैसा मैंने कहा कि इसका पूरा विवरण ले लेंगे पोजीशन मालूम हो जाएगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सी0 आर0 पी0 सी0 में जमीन के कब्जे का जो प्राविजन है, उसमें 145 बड़ा जोरदार है। उसमें मैजिस्ट्रेट इस बात की घोषणा कर देता है कि यह इसको मिलेगी। तो फिर उसमें प्रधान या अन्य कोई, कोई मतलब नहीं रखता है। मैं समझता हूं कि कानून की रक्षा करने के लिए आपको इसे देखना चाहिए कि सारे लेखपाल और प्रधान इसके अन्तर्गत इन मामलों में रात दिन जो घपला करते हैं, उसके सम्बन्ध में स्टेट की तरफ के एक एक्सप्रेस आर्डर जारी करें कि इसको काबिज रखा जाए, उसमें कोई अड़चन न डाल सके।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ठीक है, माननीय काशी नाथ जी को कानून मालूम है। 145 में रमजानी फरीक नहीं है, तो उस पर जजमेंट नहीं हो सकता है। (व्यवधान) कौन पार्टीज थे, कौन नहीं थे, यह तो सूचना नहीं है। रमजानी फरीक थे, गांव सभा फरीक थी या कलेक्टर फरीक थे, यह कुछ पता नहीं है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, 145 में जमीन अटैच भी होती है और वह किसी पार्टी के बाद सारी दुनियां के खिलाफ वह आर्डर अप्लाई करता है। उसमें यह दिया जाता है कि कोई भी आदमी इसमें मदाखलत नहीं करेगा। तो इसके बाद भी आप कहते हैं कि रमजानी काबिज है। इसका मतलब है कि मैजिस्ट्रेट के आर्डर के बाद, आर्डर के खिलाफ वह काबिज है। इस तरह से वह 188 का एक क्राइम करता है। तो पूरी सिचुवेशन को देखते हुए क्या रमजानी और उक्त प्रधान के खिलाफ आप कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? (व्यवधान)।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उसने कहा होगा कि मुझे फरीक न बनाया जाय, तो कब्जा छोड़ दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

इसमें आप कानूनी पहलू पर बहस कर रहे हैं। वह मामला अब परगनाधिकारी के विचाराधीन है। इसलिए बाद में देखा जाएगा कि क्या फैसला होगा ?

ग्राम चेहरी, गोरखपुर के भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

*7—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे (जिला गोरखपुर)—

क्या माल मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम चेहरी ब्लाक व तहसील, महराजगंज, जिला गोरखपुर में ग्राम समाज तथा सीलिंग से निकली हुयी भूमि कितनी है तथा अभीतक उनका आबंटन भूमिहीन खेत मजदूरों तथा गरीब किसानों में किया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम चेहरी में निहित सम्पूर्ण गांव सभा भूमि का क्षेत्रफल 319.00 एक ड है। इस भूमि में से अब तक खेती करने के लिए 44.48 एकड़ उपलब्ध भूमि का आवंटन 22 भूमिहीनों में किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 100 परिवारों को 2.20 एक ड भूमि का आवंटन आवास स्थल के लिए किया गया है। शेष भूमि सार्वजनिक उपयोग आबादी एवं कृषि के अयोग्य होने के कारण आवंटित नहीं की गई है।

अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ग्राम चेहरी में 571.64 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है। इसमें से 326.04 एक ड भूमि पर धारा 14(5) के अन्तर्गत जिला जज के न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 1975 द्वारा अग्रिम कार्यवाही स्थगित है। शेष 245.60 एकड़ भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है। परन्तु उसका आवंटन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 1974 से स्थगित है। इस प्रकार उपरोक्त कारणों से अतिरिक्त घोषित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

ग्राम सभा की 319 एक ड भूमि है जिसमें 44.48 एक ड भूमि प्राप्त की गई है। मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि इस 44.48 एक ड भूमि का आवंटन कब हुआ है और क्या इस पर आवंटियों को कब्जा मिल गया है? साथ ही बाकी जो भूमि है, उसका आवंटन क्यों नहीं किया गया है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

किस तारीख को किया गया है, इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता है। जब आवंटित हो चुकी है, तो कब्जा भी अवश्य मिलेगा।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

चेहरी की इस सारी जमीन पर जैपुरिया का कब्जा बना हुआ है। 44.48 एकड के आवंटन की जो बात कहते हैं, वह तो बहुत पहले ही बांटी जा चुकी है, लेकिन इस पर किसी भी आवंटी का कब्जा नहीं है। बाकी जो 319 एक ड जमीन है, वह भी बिल्कुल कृषि के योग्य है और वह सब जैपुरिया के फार्म से एटैच्ड है। क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है और अगर नही है, तो क्या इसकी जांच करवायेंगे? इस सम्बन्ध में, मैंने आपको एक पत्र भी लिखा है, बाद में भी कई पत्र लिखे हैं। बगल में ही बहुत से भूमिहीन लोग हैं, उनको ये भूमि आवंटित की जा सकती है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो आपने पत्र दिया है, वह अवश्य उचित है कार्यवाही के लिए गया होगा। यह तो राज्य सरकार का दृढ़ निश्चय है कि आवंटियों के कब्जा करवाया जाएगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी वाराणसी मन्डल के विधायकों की बैठक हुई थी, उसमें मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि सरकार के यह आदेश हैं कि ग्राम समाज की भूमि पर अगर आवंटियों का कब्जा नहीं हो पाएगा तो जो ऐसा करेंगे उनको मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। जो टंडन जी इसके सचिव हैं, उनको इस प्रकार के आदेश भी दिए गए हैं। क्या ऐसे लोगों की लिस्ट बनवाकर मीसा के अन्तर्गत एरेस्ट करवाया जाएगा?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अगर मुख्य मन्त्री जी तैयार हैं तो हम तो यह चाहेंगे कि उन पर डबल मीसा लगाया जाय, ताकि ऐसे लोगों को तुरन्त गिरफ्तार करवाया जा सके। यों सरकार का यह डिटरमिनेशन है कि वह आवंटित की गई भूमि पर आवंटियों का कब्जा हर सूरत में करवायेगी।

खीरी जिले के श्री टी० पी० भल्ला के कृष्ण नगर फार्म की भूमि का हस्तान्तरण

*8—श्री राम सजीवन (जिला बांदा) तथा श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी जिले में टी० पी० भल्ला के कृष्णनगर फार्म की 44694एक भूमि जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत नियत अधिकारी द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 1963 को अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गयी थी? वह भूमिहीनों में न वितरित करके शासनादेश, दिनांक 6 मई, 1968 के अनुसार वन विभाग को दे दी गयी थी? यदि हां, तो क्या इस भूमि पर वन विभाग ने पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी द्वारा उनके आदेश दिनांक 27 अप्रैल, 1963 के अन्तर्गत श्री टी० पी० भल्ला के कृष्ण नगर फार्म की 446.94 एक भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी थी, जिस पर राजस्व विभाग की ओर से 14 जून, 1964 को कब्जा लिया गया। शासनादेश दिनांक 6 मई, 1968 के द्वारा यह भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई थी। किन्तु वन विभाग का वास्तविक कब्जा दिसम्बर, 1974 में ही मिल सका। प्रश्नगत, भूमि इस समय वन विभाग के कब्जे में है।

श्री ऊदल—

अध्यक्ष जी, जिस शासनादेश सं० 41 1(ए) 2–12-66, दिनांक 6 मई, 1968 का जिक्र मन्त्री जी ने अपने उत्तर में किया है, इस आदेश के मुताबिक जो मन्त्री जी ने बतलाया उसके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रामों की भूमि के हस्तान्तरण सम्बन्धी आदेश हुए थे :

महेन्द्र नगर	..	96.18 एकड़
टिगहनिया	..	393.14 एकड़
एलनगंज	..	100.00 एकड़
गदनिया	..	190.00 एकड़
गनापुर	..	320.52 एकड़
लटठआ	..	90.00 एकड़
मझरा पूर्व	..	50.00 एकड़
मिलिक	..	366.45 एकड़

मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध म क्या कार्यवाही हुई?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसमें तो कृष्ण नगर सम्बन्धित प्रश्न था और यह पता नहीं कहां-कहां के फार्म्स का नाम ले रहे हैं।

श्री ऊदल—

जो आदेश दिनांक 6 मई, 1968 का है, उसी का जिक्र कर रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह आदेश आपने कहां से पढ़ दिया?

श्री ऊदल—

जिस आदेश का आपने अपने उत्तर में जिक्र किया है, उसमें मेरा यह गांव है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

6 मई, 1968 द्वारा यह भूमि हस्तान्तरित कर दी गयी ....

श्री ऊदल—

क्या यह गांव भी उसमें आते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री ऊदल—

यानी यह फिर स्थगित किया जाय ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

इतने ब? आदमी भल्ला साहब और मन्त्री जी को नहीं मालूम ?

श्री अध्यक्ष—

इसको 49 में दे दें तो आधा घंटे की चर्चा करा देंगे। यह एक अतिरिक्त विषय है।

श्री ऊदल—

ठीक है, 49 में दे देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह 446 एकड़ निकली है तो उनके कई लड़के हैं और कुल मिलाकर यह आयी है।

श्री ऊदल—

जिस शासनादेश का उल्लेख आपने किया है ....

श्री अध्यक्ष—

इस शासनादेश के अधीन आप इस ब्योरे के साथ नियम 49 में नोटिस दे दें। तब उस पर बात हो सकती है।

[शुक्रवार, 30 अप्रैल, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

इलाहाबाद के हंडिया, मेजा आदि क्षेत्रों के लिये पानी की व्यवस्था

*1—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि इलाहाबाद के हंडिया, करछना, मेज और फूलपुर क्षेत्रों के हजारों सूखा पीड़ित ग्रामीण इस वर्ष के महीने के की?मको? से भरपूर व कीचड़ मिला पानी पी रहे हैं ? तथा जानवर पानी के अभाव में मर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इन क्षेत्रों में पानी की क्या व्यवस्था की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं। सम्भव है कि कुओं का जलस्तर घट जाने के कारण कहीं-कहीं पानी कुछ मटमैला हो गया होगा किन्तु उनमें की?-मको? आदि नहीं थे।

बहराइच तथा बाराबंकी की सीमा पर घाघरा नदी के कटाव के फलस्वरूप भूमि संबंधी विवाद

*2—श्री बाबू लाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बहराइच व बाराबंकी की सीमा पर बहने वाली घाघरा नदी के हर साल अपनी धारा बदलने के कारण हजारों एक कृषि भूमि का विवाद विगत कई वर्षों से खड़ा हो गया है और कृषकों में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है तथा कृषि बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विवाद को हल करने के अब तक क्या उपाय किए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला बहराइच तथा जिला बाराबंकी की सीमा पर बहने वाली घाघरा नदी की हर साल धारा बदल जाने के कारण कृषकों में भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़े होते हैं परन्तु कोई कृषि भूमि बेकार नहीं पड़ी है। लेखपाल द्वारा मौके पर जाकर इन झगड़ों का निपटारा कर दिया जाता है। सरहदी ग्रामों का सीमा विवाद स्थायी रूप से समाप्त करने हेतु इन ग्रामों का रिकार्ड आपरेशन वित्तीय वर्ष 1976-77 में कराया जाना प्रस्तावित है।

*3--श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

ग्राम रौरा, फर्रुखाबाद में अग्निकाण्ड

*4--श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद की तहसील, छिबरामऊ के ग्राम रौरा में 9 मई, 1975 को कोई अग्निकांड हुआ? यदि हां, तो उसमें कितना नुकसान हुआ और इस सम्बन्ध में कितनी सरकारी सहायता दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला फर्रुखाबाद की तहसील, छिबराकऊ के ग्राम रौरा में दिनांक 9 मई, 1975 को नहीं वरन् दिनांक 8 मई, 1975 को अग्निकांड हुआ था।

उक्त अग्निकांड दुर्घटना में 32 मकान आंशिक रूप से तथा 73 मकान पूर्णतया जल गए जिसके फलस्वरूप 13,22,910 रुपए की अनुमानित हानि हुई।

उक्त अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों में से भूमिहीन परिवार को 25 रुपए प्रति परिवार की दर से कुल 750 रुपए अहेतुक सहायता के रूप में तथा 37 अग्नि-पीड़ितों को कुल 3,700 रुपए गृह निर्माण अनुदान के रूप में वितरित किया गया। प्रभावित परिवारों को 20,000 रुपए की धनराशि मख्य मन्त्री कोष से भी स्वीकृत की गई थी जो वितरित की जा चुकी है।

श्री अनवार जमील--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं खुद इस गांव में गया था कोई भी मकान बिना जले हुए बचे नहीं थे, जो आपने सहायता दी है, वह बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसके ऊपर फिर से विचार कर लें और अधिक रुपया दिलाने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसमें तो जिलाधिकारी के पास फण्ड होता है। इसमें आवश्यकता समझेंगे तो दिलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि इसको बढ़ाना-ओढ़ाना अगर कुछ मुमकिन है, आपके सामर्थ्य में हो, तो बढ़ा दें।

श्री अनवार जमील--

मान्यवर, इसमें जो धन दिया गया है, वह बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष--

मौजूदा जो नियम हैं, जब तक उसमें संशोधन नहीं करते हैं, अधिक दे नहीं सकते। 500-1000 कर दिया जाय, तो यही आप लोगों की इच्छा व्यक्त हुई।

श्री अनवार जमील—..

मान्यवर, इसमें मालगुजारी वगरह की छूट दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

मालगुजारी और वसूलयाबी जो है, इस पर विचार करेंगे।

श्री अनवार जमील—

मान्यवर, वे लोग मालगुजारी देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं इसको देख लूंगा।

ग्राम सिठमरा, कानपुर के अनुपयुक्त चकरोड

*5—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के ग्राम, सिठमरा में चकबन्दी के अन्तर्गत एक गांव से दूसरे गांव तक मिलाने के चकरोड अनुपयुक्त स्थानों से बनाए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस ग्राम के चकरोडों की स्थिति के अध्ययन से यह प्रकट हुआ है कि चार चकरोड अनुपयुक्त स्थानों पर दिए गए। अनुपयुक्त स्थानों पर चकरोड बन जाने का कारण कर्मचारियों की असावधानी तथा ग्रामवासियों द्वारा समय पर आपत्ति न करना है।

*6—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या यह भी सही है कि चकबन्दी के कर्मचारियों ने ये चकरोड मौके पर बिना देखे बनाए हैं ? यदि हां, तो इसमें दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और इन चकरोंडों को उपयुक्त स्थानों से बनाए जाने की क्या व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

चकरोड बिना देखे तो नहीं बनाये पर प्रस्तावित चकरोडों के स्थल पर सीमांकन में असावधानी जरूर बरती गई है जिसके लिए दोषी कर्मचारियों को दन्डित किया गया है और चकबन्दी अधिनियम के प्राविधान के अनसार चकरोडों की अनुपयुक्तता दूर करने के लिए सन्दर्भ बना कर उपसंचालक, चकबन्दी को निर्णय के लिए भेज दिए गए हैं।

प्रदेश की बड़ी नदियों के किनारे स्थित गांवों की समाप्त पंचशाला बन्दोबस्त सम्बन्धी योजना का पुनर्कार्यान्वयन

*7—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतावेंगे कि प्रदेश की बड़ी नदियों के किनारे बसे हुए गांवों का बन्दोवस्त पंचशाला समाप्त करने के क्या कारण थे ? क्या यह सही है कि बड़ी नदियों के किनारे वाले गांवों का पांच साला बन्दोवस्त समाप्त हो जाने के कारण तमाम जमीनें, नदियों का रूख बदल जाने के कारण जो खाली हुई हैं, बन्दोवस्त के अभाव में छोटे किसानों को उनका कब्जा नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन किसानों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त बन्दोवस्त को पुन : लागू करने पर विचार करेंगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

पंचशाला बन्दोवस्त के दौरान न तो भूमि की श्रेणियां बनायी जाती थीं और न ही सर्किल रेट में परिवर्तन किया जाता था केवल नदी की धारा में परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरूप खातेदारों की जोत में कमी अथवा वेशी जैसी भी दशा होती थी, करके मालगुजारी

में कमी बेशी कर दी जाती थी। वर्तमान नियमों के अनुसार नदी के रुख बदलने से खातेदारों की जोत में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन कारणों से पंचशाला बन्दोवस्त के प्राविधान को समाप्त किया गया। पंचशाला बन्दोवस्त से नदियो के रुख बदलने के फलस्वरूप खाली भूमि को भूमिहीन मजदूरों अथवा छोटे खातेदारों में आवंटित करने में कोई सहायता नहीं मिलती। नदियों का रुख बदलने के फलस्वरूप खातों के अतिरिक्त गांव सभा में निहित भूमि को मौके पर पैमाइश कराकर नियमानुसार आवंटित करने विषयक आदेश दिनांक 29 अक्तूबर, 1975 को जारी किए गए हैं। अत: पंचशाला बन्दोवस्त को पुन: लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों में सीमा विवाद संबंधी प्रार्थना-पत्र

*8—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि तिलहर, जिला शाहजहांपुर के गांव मरेना, सरसवा, लोहरगढ़ी कन्हानी, बरी प्रसिद्धपुर की सरहद का झगड़ा जिला बदायूं से चल रहा है और भूतपूर्व विधायक, श्री सुरेन्द्र विक्रम के साथ उपरोक्त गांव के निवासी दिनांक 11 जून, 1975 को मुख्य मन्त्री को एक प्रार्थना-पत्र भी दे चुके हैं? तथा अक्तूबर, 1975 के प्रथम सप्ताह में एक रजिस्टर्ड पत्र भेजा? यदि हां, तो शान्ति भंग न होने हेतु क्या कदम उठाए गए? ग्रामवासियों की मांगें क्या हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, प्रश्नगत ग्रामों में काफी समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। 11 जून, 1975 के प्रार्थना-पत्र में सीमा विवाद सम्बन्धी झगड़े को शीघ्र निपटाए जाने की मांग ग्राम वासियों द्वारा की गयी थी। शान्ति यवस्था कायम रखने के लिए धारा 107/116 जा0 फौ0 दा0 के अन्तर्गत कार्यवाही कायम है। इसके अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए सम्बन्धित परगनाधिकारियों तथा थानाध्यक्ष को सचेत भी कर दिया गया है।

बहराइच जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायत

*9—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1975 में बहराइच जिले में आई हुयी भीषण बाढ़ से क्षति एवं त्वरित सहायतार्थ कोई पत्र अगस्त, 1975 में मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी और कौन-कौन सहायता कार्य किया गया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। बहराइच की स्थिति की जांच करवाने के बाद वहां रुपए 1,35,000 की अहेतुक सहायता तथा रुपया 2,25,000 की आपदा तकावी बांटी गई। सभी सरकारी देयों की वसूली स्थगित की गई। 2,000 कुन्तल गेहूं का मुफ्त वितरण किया गया तथा सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से मोटा अनाज उपलब्ध करवाया गया। रबी की बुआई के लिए आवश्यक मात्रा में बीज उपलब्ध कराया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों का वितरण कराया गया।

*10—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

[11 अप्रैल, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 29 पर उत्तरित।]

शाहजहांपुर आब्जर्वेशन होम के असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध शिकायतें

*11—श्री मोहम्मद रफी खां (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि शाहजहांपुर आब्जर्वेशन होम के असिस्टेन्ट सुपरिन्टेडेन्ट के विरुद्ध रिश्वत आदि लेने की शिकायतें जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने 1973 में डाइरेक्टर,

हरिजन व सोशल वेलफेयर, उत्तर प्रदेश को भेजी थीं ? यदि हां, तो आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने की क्या वजह है ?

समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर चरण सिंह)---

असिस्टेन्ट सुपरिन्टेंडेन्ट के विरुद्ध रिश्वत लेने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं हुई थी, परन्तु इनके विरुद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी को कार्य सम्पादन में सहयोग न देने, वित्तीय अनियमिततायें करने तथा आदेशों की अवहेलना करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। विभागीय जांच के फलस्वरूप उक्त शिकायतें सही नहीं पाई गयीं। अत: सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ के ग्राम हरैया में चकबन्दी सम्बन्धी शिकायतें तथा उस पर की गई कार्यवाही

*12---श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) ---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सगड़ी तहसीलान्तर्गत ग्राम हरैया की चकबन्दी में तत्सम्बन्धित कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा की गई घोर अनियमितताओं एवं धांधलियों के विरुद्ध उक्त ग्राम के हरिजनों ने हकतल्फी दूर करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 1975 को जिला अधिकारियों एवं शासन, उत्तर प्रदेश को आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

पत्र पर जांच करायी गई और प्रकाश में आयी त्रुटियों को दूर कराने तथा दोषी कर्मचारियों को दन्डित करने की कार्यवाही करने के लिए चकबन्दी आयुक्त द्वारा आदेश दिए जा चुके हैं।

*13---श्री दया राम भास्कर (अनुपस्थित) तथा श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम के काश्तकारों एवं हरिजनों द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 1976 को मख्य सचिव, सचिवालय, उत्तर प्रदेश, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी एवं डी0डी0सी0, आजमगढ़ को चकबन्दी निरस्त कराने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी हां। चकबन्दी योजना में चक प्रदेशन सम्बन्धी सभी कार्यवाहियां न्यायिक हुआ करती हैं और प्रश्नगत कार्यवाही भी न्यायिक है। अत : शासन द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सका।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या राजस्व मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गांव की चकबन्दी की त्रुटियों की जांच किस अधिकारी द्वारा और कब कराई गयी और कौन-कौन सी त्रुटियां पाई गईं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, राम सहाय लाल डी0डी0सी0 जो थे, उनके द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 1976 को जांच हुई थी और इसमें जो दरख्वास्तें थीं, उसमें सबकी अनियमितताएं पाई गई हैं। यह जरूर है कि सजा कम जरूर दी गयी है। अनियमितताएं बहुत काफी थीं। उनको केवल वार्निग ही दी गयी थी। मान्यवर, वार्निंग से केवल काम नहीं चलेगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

मान्यवर, जो चकबन्दी आयुक्त को सजा देने के निर्देश दिए गए हैं, वह आदेश क्या हैं ? क्या यह सही है कि केवल चेतावनी देकर उनको छोड़ दिया गया ? मान्यवर, सारे गांव की चकबन्दी खराब है, तो जो केवल वार्निग करके उनको छोड़ा गया है, तो उनके खिलाफ शख्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दुबारा उसको कुछ सजा दी जा सकती है या नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इस गांव में चकबन्दी की अनेकानेक अनियमिततायें हुई हैं और गरीब लोगों को चकरोड दूर-दूर पर दिए गए हैं, ऐसा पता चलता है कि चकबन्दी अधिकारियों ने कहीं दूर बैठ कर चकों को काटा है और बड़े लोगों से पैसा लेकर, उनको सुविधा दी है। माननीय मन्त्री जी वहां की चकबन्दी फिर से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बातें करनी हैं तो धीमे-धीमे करें ताकि दूसरों को न लगे कि अकाज कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अनियमितताओं को देखते हुए चकबन्दी दुबारा कराने का औचित्य नहीं मालूम होता है, क्योंकि बहुत सी अपीलें और निगरानियां चल रही हैं, तो उनमें दुरुस्ती कर दी जाएगी।

बहराइच जिले में निराश्रित बालकों के आदर्श गृह की स्थापना न होना

*14—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि बहराइच जनपद में वर्ष 1973-74 अथवा 1974-75 में निराश्रित बालकों हेतु संरक्षण गृह की योजना स्वीकृत की गई थी और सरकार द्वारा धन भी आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो क्या निराश्रित बालकों का संरक्षण गृह चालू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर चरण सिंह—

जी हां, वर्ष 1974-75 में बहराइच जनपद में निराश्रित बालकों के लिए एक आदर्श गृह की स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, परन्तु बहराइच में कोई उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत संस्था को बहराइच में स्थापित नहीं किया जा सका।

*15—श्री दीपनारायण पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*16—श्री अनवार जमील—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

देवरिया जिले के कतिपय ग्रामों से चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*17—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में ग्राम कोला, कोहरा, सबरेजी, लाखोपार, वरडिहा, परशुराम, राउतपार, अमेठिया, बालुआगौरी में चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा चक बनाते समय की गयी व्यापक धांधली के सम्बन्ध में वहां की जनता के शिकायती-पत्र वर्ष 1975 में प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो अब तक उक्त आवेदन-पत्रों पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद देवरिया के ग्राम कोला, कोहरा, सबरेजी, लाखोपार, बरडीहा, परशुराम राउतपार, अमेठिया, बालुआगौरी में चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा चकतराशी के समय अनियमितता किए जाने के सम्बन्ध में 8 शिकायती-पत्र वर्ष 1975 में प्राप्त हुए थे। इनमें से 4 शिकायती-पत्रों पर जांच के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। एक शिकायती-पत्र पर जिसकी विषयवस्तु के सम्बन्ध में निगरानियों का निर्णय उप संचालक, चकबन्दी द्वारा कर दिया गया है, कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शेष 3 शिकायती-पत्र भी न्यायिक कार्य-

वाहियों से सम्बन्धित है। इन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्बंधित अधिकारी द्वारा यथासमय की जाएगी।

अध्यक्ष, नगरपालिका चित्रकूट, जिला बांदा का विभिन्न प्रकार की भूमि पर अनधिकृत कब्जा तथा कतिपय ग्राम सभाओं की भूमि के नाजायज पट्टे

*18—श्री ऊदल तथा श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका चित्रकूट धाम, कर्वी, जिला बांदा द्वारा सरकारी नजूल, जिला परिषद् तथा गांव समाज के बड़े पैमाने पर भूमि नाजायज तरीके से हड़पने के सम्बन्ध में तहसील कम्युनिस्ट पार्टी, कर्वी, बांदा के मंत्री का कोई पत्र दिनांक 21 फरवरी, 1976 को भेजा हुआ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, इस विषय पर एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जांच करायी गयी और जिलाधिकारी, बांदा को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि अनधिकृत कब्जों को हटाने की एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक आवश्यक कार्यवाही की जाय।

*19—श्री ऊदल तथा श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बन्दरकोल गड़ीकलां खुटहा, तहसील कर्वी, जिला बांदा में गांव सभा की भूमि का कुछ लोगों ने नाजायज तरीके से पट्टा ले लिया है और मौजा गढ़ीवा में तालाब नं0 224 व 225 का भी पट्टा करा लिया गया है? उस सम्बन्ध में दिनांक 21 फरवरी, 1976 को माल मन्त्री को पत्र मिला? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, इस विषय पर एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जिलाधिकारी, बांदा को जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित और प्रश्न संख्या 18 से सम्बन्धित, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जांच करायी गयी और डी0 एम0 से करायी गयी और यह आदेश दे दिए गए कि अनधिकृत कब्जा हटाया जाए। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अवैध कब्जा था, तो इतने दिनों से जो अवैध कब्जा किए हुए थे, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, यह सही है कि जो शिकायत मिली थी, वह सही है और गोपाल कृष्ण करवरिया का कई नम्बरों पर अवैध कब्जा साबित हुआ उस पर कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

अवैध कब्जा पाया गया तो अवैध कब्जा हटा देना ही काफी नहीं है। कब्जा हटा देना कोई सजा नहीं है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस चीज को देखते हुए कि गोपाल कृष्ण करवरिया जो नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, को इस पद से हटाने की कार्यवाही तथा मुआवजा दिलवाने की कृपा करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बेदखली के समय मुआवजा जो होता है वह होगा और अध्यक्ष पद से हटाने के लिए सम्बन्धित विभाग ही सक्षम है, मैं रिपोर्ट भेज दूंगा, उनके पास।

श्री राम सजीवन—

जांच करा ली गई है और वह दोषी पाए गए हैं। तो माननीय मन्त्री जी क्या वह रिपोर्ट पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जांच रिपोर्ट बहुत लम्बी है। वह व्यक्तिगत रूप से मुझसे देख लें।

श्री राम सजीवन—

माननीय मन्त्री जी अनधिकृत कब्जे की बात को स्वीकार करते है। जब कोई छोटा आदमी कब्जा करता है, तो इल्लीगल ट्रेसपासर में उसको बंद कर दिया जाता है, तो क्या माननीय मन्त्री जी उनको भी इल्लीगल ट्रेसपासर्स में बन्द करने अथवा गिरफ्तार करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो कानूनी कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

*20—श्री शिव कैलाश—

[29 अप्रैल, 1976 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

*21—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[6वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित।]

देवरिया जिले के विकास खंड पडरौना, विशुनपुरा तथा बाढ़ग्रस्त गांवों में भू-राजस्व व विकास-कर की वसूली

*22—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील के पडरौना तथा विशुनपुरा विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों के जनवरी, 1975 से 20 मार्च, 1975 तक कुल कितना भू-राजस्व तथा विकास कर वसूल किया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

देवरिया जनपद के पडरौना तहसील के पडरौना तथा विशुनपुरा विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी, 1975 से 20 मार्च, 1975 तक भू-राजस्व में कुल रुपया 57,413.03 तथा विकास कर में कुल रुपया 82,669.52 वसूल किया गया।

*23—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त जनपद में बाढ़-ग्रस्त घोषित गांवों में भी माल गुजारी विकास कर की वसूली की गयी ? यदि हां, तो वसूली करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस जनपद के बाढ़-ग्रस्त घोषित गांवों में स्वेच्छा से देने वाले व्यक्तियों से मालगुजारी एवं विकास-कर की वसूली की गई। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की गई। वसूली करने वालों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर वन विभाग के सुरपार के टांगिया वन मजदूरों द्वारा दिया गया कथित महर्जनामा तथा दर्रा, बर्ड डाढ़ की परती जमीन से हुई आमदनी

*24—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 20 फरवरी, 1976 को जनपद गोरखपुर के वन विभाग के सुरपार के टांगिया के वन मजदूरों का एक प्रतिनिधि मन्डल चीफ कन्जरवेटर, लखनऊ से मिला था और अपने जीवन निर्वाह के लिये महर्जनामा दिया था जिसमें अपने तथा अपने बच्चों के जीवन-निर्वाह के लिये दर्रा बर्ड डाढ़ तथा पचरूखी के पर्ती जमीनों की मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार महर्जना पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं। शष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*25—श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)—

क्या वन मंत्री उपरोक्त वन विभाग की पर्ती जमीनों के बारे में बताने की कृपा करेंगे कि वह कितने-कितने एकड़ की हैं और गत तीन वित्तीय वर्षों में वन विभाग को कितनी आमदनी हुयी हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

दर्रा तथा बर्ड डाढ़ के वन विभाग की पर्ती जमीनों का क्षेत्रफल 1630.84 हेक्टर है गत तीन वित्तीय वर्ष में 3,37,155 रु0 54 पै0 की आमदनी हुई।

पंचरूखो नाम की कोई पर्ती भूमि वन विभाग में नहीं है ।

देवरिया जिले से प्राप्त फर्जी भूमि वितरण संबंधी सूचना

*26—श्री हरिकेवल (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के कुछ तहसीलों में वर्ष 1975 में फर्जी भूमि तिवरण एवं अनियमित कार्यों के सम्बन्ध में कोई सूचना शासन को प्राप्त हुयी थी तथा तत्कालीन राजस्व मंत्रो ने अपने देवरिया दौरे पर कुछ राजस्व कर्मचारियों को सेवा स निलम्बित करने का आदेश भी दिया था ? यदि हां, तो तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरिद्वार के महन्तों की भूमि पर जोत सीमा आरोपण विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की मांग

*27—श्री भीखा लाल तथा श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार के विधायक ने उनके पास क्या इस बात की कोई सूचना दिनांक 19 फरवरी, 1976 से 25 फरवरी, 1976 के बीच भेजी है कि उक्त क्षेत्र में महन्तों के कब्जे में पड़ी लगभग 16 हजार बीघा भूमि पर जोतों की हदबन्दी के कानून को लागू करवाने क लिये वहां के लोगों ने 20 मार्च, 1976 से 24 घंटे की भूख हड़तांल करने का फैसला किया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, श्री आर0 के0 गर्ग, विधायक हरिद्वार का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 19-2-76 को प्राप्त हुआ। इस पत्र में हरिद्वार के महंतों के पास तथा श्री शाह नवाज खां के पास अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि होने की बात कही गई थी।

2—इस आवेदन पत्र की जांच की गई। जांच के अनुसार निम्नलिखित अखाड़ों के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि है :—

क्रम सं0	नाम अखाड़ा	भूमि का क्षेत्र फल
		एकड़
1	अखाड़ा पंचायती महानिर्वाण	261.81
2	अखाड़ा पंचायती निर्मला	205.16
3	नया अखाड़ा पंचायती उदासीन	108.20
4	बड़ा अखाड़ा पंचायती उदासीन	594.92
5	अखाड़ा पंचायती निरंजनी	84.82

इन अखाड़ों के मुख्यालय इलाहाबाद में है, इसलिये आवश्यक सीलिंग प्रपत्र जिलाधिकारी, इलाहाबाद को भेजे जा चुके हैं ? अतिरिक्त भूमि के अवधारण की कार्यवाही जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा की जावेगी ।

श्री भीखा लाल—

मूल अधिनियम वर्ष 1960 में पास हुआ था और उसके बाद जो अतिरिक्त भूमि सीलिंग से घोषित हुई, उसक नोटिस काश्तकारों को दिऐ गये । फिर जब यह विधेयक संशोधित हुआ और 18 एकड़ की बात आई तो उसके बाद भी नोटिस दिए गये । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन महन्तों और श्री शाह नवाज खां को पहली बार नोटिस कब दी गई थी ? महन्तों के बारे में तो आपने उत्तर में कह दिया कि इलाहाबाद भेजा गया लेकिन शाहनवाज के बारे में कहा कि कार्यवाही की जा रही ह । तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें नोटिस दी गई अथवा नहीं और दी गई तो पहली बार कब ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री भीखा लाल—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग ने 19 फरवरी को पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि अगर सीलिंग की नोटिस नहीं दी जाती है, तो हम सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद नोटिस दी गई, यदि हां, तो जांच कराकर जिलाधिकारी के विरुद्ध इस शिथिलता के लिये कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आवश्यक जांच कराऊंगा और यदि उनकी शिथिलता पाई जायेगी तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, सीलिंग से जमीन निकलने की नोटिस वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई है । अब तो मामला इस स्टेज पर है कि सब कुछ फाइनल होकर भूमिहीनों को जमीन बांटी जा रही है और जो लोग नहीं करते हैं तो उनको गिरफ्तार करने की बात हो रही है उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि यह मामला नोटिस की स्टेज में ह, तो मैं उनस जानना चाहता हूं कि यह किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जसे-जैसे नोटिस में आता जाता है, वैसे-वैसे कार्यवाही होती जाती है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

20 सूत्री कार्यक्रम में एक टाइम बाउंड और ठोस प्रोग्राम है, जिसे एक निश्चित समय के अन्दर कार्यान्वित करना ह । तो जिस तरह का आप जवाब देरहे ह कि जैसे-जसे ध्यान में आता जायगा, कार्यवाही होती जायगी, इसका साफ मतलब ह कि 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ आपके प्रशासन, आपके विभाग की मखौल है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह मामला किस स्टेज में हैं और महन्तों और शाह नवाज खां से जमीन कब तक निकाल लेंगे ? आपके पास सारे स्टेट की संगठित शक्ति है । आप उस संगठित शक्ति का प्रयोग करके कब तक यह जमीन निकाल लेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जायगी और माननीय काशीनाथ जी को संस्तुष्ट कर दिया जायगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है । टाइम बाउंड प्रोग्राम का यह कतई मतलब नहीं है कि शीघ्र से शीघ्र । शीघ्र से शीघ्र का मतलब 2 वर्ष भी हो सकता ह और 2 मिनट भी

हो सकता है। आपको कहना चाहये कि इतने दिन के अन्दर हम यह कार्यवाही कर देंगे नहीं तो शीघ्र से शीघ्र 10–15 साल भी हो सकता है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसके लिये 10–15 साल, जैसा आपने कहा, नहीं लगेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और माननीय मंत्री जी इसे गम्भीरता से ले नहीं रहे हैं। सन् 60 में जब सीलिंग ऐक्ट बना था उसके बाद इनको नोटिस गयी या नहीं। . . . . .

श्री अध्यक्ष—

तो आप 49 में दे दीजिये हम उसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

वैसे यह महत्वपूर्ण है लेकिन इसको स्थगित करने में कोई नया जवाब थोड़े ही आ जायगा। अगर अगले सप्ताह तक कोई नया जवाब आने की सम्भावना हो तो इसको स्थगित करूंगा, माननीय मंत्री जी सूचना मंगाना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि मंत्री जी आपसे सहयोग कर रहे हैं और वह अगर सूचना मंगा सकते हों, तो हम इसी को स्थगित कर दें, नहीं तो नियम 49 की नोटिस देनी पड़ेगी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दो, चार दिन का टाइम दे दें क्योंकि इतनी जल्दी तो सूचना आ नहीं सकगी।

श्री अध्यक्ष—

अगले हफ्ता?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है, अगले सप्ताह के लिये स्थगित किया।

*28—श्री जयराज गौतम—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 पर स्थानान्तरित।]

विदेशी शराब की दुकानों की नीलामी संबंधी जारी किया गया अध्यादेश

*29—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि सरकार ने देशी एवं विलायती शराब की दुकानों का नीलाम कराने के सम्बन्ध में हाल ही में कोई निर्णय लिया ह? यदि हां, तो क्यों तथा इससे कितना लाभ प्रतिवर्ष होने की सम्भावना है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

देशी शराब की दुकानों की नीलामी के संबंध में कोई नया निर्णय हाल म नहीं लिया गया है। विदेशी शराब की दुकानों की, देशी शराब की दुकानों की तरह नीलामी प्रणाली के आधार पर तय करने के लिये उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 दिनांक 28 फरवरी, 1976 को जारी किया गया। विदेशी शराब की दुकानों के नीलाम में राजस्व की वृद्धि मुख्य ध्येय नहीं ह, फिर भी इससे राजस्व के पर्याप्त बढ़ोत्तरी की सम्भावना है।

*30—श्री भीखालाल तथा श्री देव कुमार यादव—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

बीस-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का कार्यान्वियन

*31—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्य-क्रम में उत्तर प्रदश के कौन-कौन से कार्य-क्रम शामिल है और इसको सफल बनाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के केंद्रीय सरकार से सम्बन्धित मदों को छोड़कर अन्य सभी मदें इस प्रदेश में समयबद्ध रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं ।

21 जनवरी, 1976 को कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त वर्तमान मंत्रि-परिषद् ने 20-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की विस्तार पूर्वक समीक्षा की ओर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मंत्री-परिषद् के समस्त सदस्यों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन हेतु विशिष्ट जिले आवंटित किये गये हैं। इस कार्यक्रम के प्रभावकारी तथा समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार ने राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तरों पर परिणामजनक तथा प्रतिबद्ध (result oriented and commitment based) समितियां गठित की हैं। इस कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न विभागों में समन्वय लाने के लिये तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मोनीटरिंग के लिये मुख्य सचिव शाखा में एक पूर्णकालिक आयुक्त एवं सचिव भी नियुक्त किया गया है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 31-3-76 तक की गई कार्यवाही† का विवरण सदन की मेज पर रख दिय गया है।

नरांव-कोड़ऊपुर मार्ग के निर्माण में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न होना

*32—श्री रघुनाथ—

क्या यह सही है कि प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्मित नराव कोड़ऊपुर मार्ग ब्लाक चिलकहर जनपद बलिया पर कार्य करने वाले मजदूरों का 4,400 रुपए भुगतान स्थानीय खंड विकास अधिकारी द्वारा अब तक नहीं किया गया। जिसकी शिकायत अगस्त, 1974 में शासन को की गयी थीं? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं। विकास खंड चिलकहर में निर्मित नरांव-कोड़ऊपुर मार्ग क्रैश योजना के अन्तर्गत निर्मित नहीं है, बल्कि यह मार्ग टेस्ट वर्क द्वारा निर्मित किया गया है। यह सत्य नहीं है कि इस मार्ग पर कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी क 4,400 रु0 मात्र भुगतान के लिये शेष है।

केवल रु0. 1134.40 पैसे धनारशि को जिसका भुगतान नायब तहसीलदार, रसड़ा द्वारा नहीं किया जा सका, कोष में वापस जमा कर दिया गया है। यह भुगतान इस कारण संभव नहीं हुआ क्योंकि संबंधित क्लेमेण्ट (दावेदारों) ने अपने द्वारा किये गये क्लेम (दावे) को प्रमाणित एवं सिद्ध नहीं किया ।

श्री रघुनाथ—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह टेस्ट वर्क जो कराया गया, इसका मस्टर रोल रखा गया या नहीं। यदि रखा गया, तो उस आधार पर भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मस्टर रोल के बिना तो काम होता ही नहीं है, वह तो लाजमी होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब मस्टर रोल है तो और किस बात का प्रमाण आप चाहते हैं, क्या वही प्रमाण काफी नहीं है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मस्टर रोल गलत हो गया होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

"हो गया होगा" का-सवाल नहीं है, मान्यवर, स्पष्ट उत्तर हम चाहते हैं। अगर रखा गया है तो उसके बाद और कौन सा प्रमाण आप चाहते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मस्टर रोल की मेरे पास सूचना नहीं है, वह तो मैं अपने एक्सपीरिअन्स से कह रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब मस्टर रोल है तो उसके अनुसार पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्या वही प्रमाण काफी नहीं है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तहसीलदार के सामने कोई और ग्राऊन्ड्स होंगी, मेरे पास उसकी सूचना नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपने उत्तर के अंतिम वाक्य में जो कहा उसका आधार तो कुछ होगा ही कि क्यों नहीं दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उसका आधार मंगा कर, मैं सदन को सूचित कर दूंगा।

श्री रघुनाथ—

क्या मेरी सूचना को सही मान कर कि यह 1100 रुपये नहीं, बल्कि 4400 रुपये हैं, जिनका पेमेंट होना है, क्या मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अवश्य करा लूंगा।

*33—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[6ठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 पर स्थानान्तरित।]

ग्राम देवरिया मुबारकपुर तथा चमरूपुर, जिला गोंडा के हरिजनों के भूमि आवंटन संबंधी शिकायती प्रार्थना-पत्र

34—श्री दीप नारायण पान्डेय (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 जनवरी, 1976 को ग्राम देवरिया मुबारकपुर, बप्पा चमरूपुर, परगना व तहसील उतरौला जिला गोंडा के कुछ हरिजनों ने एक शिकायती-प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी गोंडा तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से दिया है कि जो जमीनें पट्टे पर इन हरिजनों को दी गयी हैं, वह उक्त ग्राम के ग्राम प्रधान हल्का कानूनगों व लेखपाल ने मिल करके बेच दिया है ? यदि हां, तो इस पर अब तक सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, ग्राम देवरिया मुबारकपुर तथा चमरूपुर परगना व तहसील उतरौला, जिला गोंडा के कुछ हरिजनों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को सम्बोधित एवं जिलाधिकारी, गोण्डा तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पृष्ठांकित प्रार्थना पत्र इस आशय से कि जो जमीनें पट्टे पर इन हरिजनों को दी गई हैं, को उक्त ग्राम के ग्राम प्रधान, हल्का कानूनगो व लेखपाल ने मिल करके बेच दिया है, डाक से भेजा है ।

उक्त ग्राम में हरिजनों को आवास हेतु भूमि ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित की गई थी और उन्हें पट्टे दिये गये थे । ग्राम प्रधान की साजिश से चार हरिजनों की भूमि पर अन्य लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है । जांच में हल्का कानूनगो का कोई दोष नहीं पाया गया ग्राम प्रधान भागा हुआ है । उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कानूनी सलाह ली गई है और तदनुसार कार्यवाही की जा रही है । लेखपाल का यह दोष पाया गया कि उसने हरिजनों की भूमि पर अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण की सूचना समय से अधिकारियों को नहीं दी । **उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप पत्र दिया जा चुका है ।**

ग्राम गायघाट तप्पा मतहरा, बस्ती की चकबन्दी

*35—श्री भीषम (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पो0 गायघाट तप्पा मतहरा परगना महुली पूरब, तहसील खलीलाबाद, बस्ती, उत्तर प्रदेश की चकबन्दी की कार्यवाही अब तक प्रारम्भ नहीं हुयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं । प्रश्नगत ग्राम में चकबन्दी की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है ।

ग्राम मकनपुर, मेरठ के हरिजनों की आवास स्थल का आवंटन

*36—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला मेरठ, तहसील गाजियाबाद के ग्राम मकनपुर में हरिजनों के आवास हेतु जो जमीन एलाट की गई है वह आवास लायक नहीं है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ग्राम के कुछ हरिजन ग्राम पंचायत की एक अन्य खाली भूमि पर झोपड़ें बनाकर रह रहे हैं और उन्होंने उस जमीन के पट्टे देने हेतु कुछ मास पूर्व प्रार्थना की थी किन्तु सम्बन्धित अधिकारी उन्हें पट्टे न देकर उल्टे उनके झोपड़े हटा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं । आवंटित भूमि आवास के लिये उपयुक्त है तथा आबादी से केवल एक फर्लांग दूर है ।

गांव सभा की जिस भूमि पर हरिजनों ने झोपड़ियां बनाई थीं वह भूमि पुलिस विभाग को दिनांक 7 मई, 1975 को पहले ही आवंटित कर दी गई थी । अनधिकृत कब्जे की सूचना पुलिस विभाग को प्राप्त होने तथा उनके समझाने बुझाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने झोपड़े हटा लिये ।

ग्राम सौरिख, फर्रूखाबाद के चकबन्दी नक्शे का गायब होना

*37—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रूखाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फर्रूखाबाद तहसील छिबरामऊ के सौरिख ग्राम के खेतों का चकबन्दी वाला नक्शा गायब कर दिया गया है जिसकी शिकायत दिनांक प्रथम सप्ताह अप्रैल, 1975 तथा तृतीय सप्ताह अक्तूबर, 1975 को दी गयी थी ? यदि हां, तो इस विषय पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां। सौरिख ग्राम की चकबन्दी के नक्शे के संबंध में एक शिकायत 3 अप्रैल, 1975 को माननीय विधायक डा0 धर्मपाल सिंह से प्राप्त हुई थी। इस पर जांच कराने पर जिलाधिकारी ने यह बताया कि इस ग्राम का नक्शा चकबन्दी अधिकारियों द्वारा जिल्द चकबन्दी के साथ अभिलेखागार में दाखिल नहीं किया गया था। जिन कर्मचारियों की असावधानी से नक्शा दाखिल नही हुआ, उनका उत्तरदायित्व निश्चित करके उन्हें दण्डित करने का आदेश चकबन्दी आयुक्त को दे दिया गया है।

*38--श्री रघुनाथ--

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

निराश्रित महिला आश्रम, लखनऊ में गबन

*39--डाक्टर मलखान सिंह--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निराश्रित महिला आश्रम, लखनऊ की अधीक्षिका (कु0 सरोज पन्त) द्वारा लाखों रुपए का गबन तथा घोटाले की जानकारी सरकार को है और क्या शासन ने आडिट पार्टी और कमिश्नर द्वारा जांच कराई है? यदि हां, तो जांच से क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं और शासन ने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर चरण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम हेड़ी, मुजफ्फरनगर के हरिजनों की आवंटित भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*40--श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि ग्राम मौजा बहेड़ी जिला मुजफ्फरनगर में खसरा नं0 326 जिसका रकबा 154 पक्का है जो चकबन्दी के दौरान भूमिहीन हरिजनों के आवास के लिये छोड़ा गया था उस पर किन्हीं व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है? यदि हां, तो क्या जल्दी से जल्दी उसका कब्जा हटवाकर भूमि हीन हरिजनों को आवास के लिये देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां। अनधिकृत कब्जा हटवाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही पूर्ण होने पर शीघ्र ही हरिजनों को आवास हेतु भूमि आवंटित की जायेगी।

*41--श्री गोपाल दत्त ओझा--

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 64 पर स्थानान्तरित।]

*42--श्री बैजनाथ--

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

बहराइच में ब्लाकवार भूमिहीनों को आवास स्थल हेतु भूमि का आवंटन

1--श्री बाबूलाल वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 20 अक्तूबर, 1975 तक बहराइच जिले में (ब्लाक अनुसार) कितने भूमिहीनों को आवास स्थल हेतु कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गयी तथा आवास स्थल पर मकान बनाने के लिये सहायता के रूप में सरकार ने क्या व्यवस्था की?

डाक्टर चरण सिंह—

20 अक्टूबर, 1975 तक बहराइच जिले में ब्लाक अनुसार कुल 11167 भूमिहीनों की आवास स्थल हेतु 443.915 एकड़ भूमि आवंटित की गई तालिका (अ) पर संलग्न है तथा आवास स्थल पर मकान बनाने के लिए रु0 1,04,000 की धनराशि सहायता के रूप में व्यय की गई जिससे 52 मकानों का निर्माण कराया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. 498 पर ।)

बहराइच व रायबरेली के दसवीं कक्षा के हरिजन व पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियां

2—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राय बरेली व बहराइच जिलों में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के दसवीं कक्षा के छात्रों को वर्ष 1974 व 1975 में कितनी-कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ? तथा कितने छात्र लाभान्वित हुए ?

डाक्टर चरण सिंह—

बहराइच जिले में हरिजन व पिछड़े वर्ग के दसवीं कक्षा के छात्रों को वर्ष 1974 व 75 में क्रमश: 21,840 रु0 तथा 47,244 रु0 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी थी और 188 तथा 293 छात्र लाभान्वित हुए ।

रायबरेली जिले में वर्ष 1975 में हरिजन व पिछड़े वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्ति हेतु मु0 77,472 रु0 स्वीकृत हुआ तथा 538 छात्र लाभान्वित हुए । वर्ष 1974 के समस्त छात्र-वृत्ति संबंधी अभिलेख छात्रवृत्ति के मामले की जांच के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 के पास हैं । अत: संबंधित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण सूचना देना संभव नहीं है ।

आजमगढ़ के अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिये स्वीकृत अनुदान

3—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिये प्रदेशीय सरकार द्वारा वर्ष 1974-75 में कितना अनुदान दिया गया है ? क्या यह सही है कि वहां वर्ष 1975-76 में स्वीकृत अनुदान की धनराशि वर्ष 1974-75 की अपेक्षा कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर चरण सिंह—

आजमगढ़ जनपद में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1974-75 में 39,71,400 रु0 अनुदान दिया गया था । वर्ष 1975-76 में स्वीकृत अनुदान की धनराशि 44,16,600 रु0 है । अत: वर्ष 975-76 की धनराशि वर्ष 1974-75 की अपेक्षा कम नहीं है ।

आजमगढ़ की हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं हेतु स्वीकृत अनुदान

4—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ से वर्ष 1974-75 में कितने आवेदन पत्र हरिजन प्राइमरी में पाठशालाओं को अनुदान प्राप्त करने के लिये आए थे, उनमें से कितनों को सहायता दी गयी और कितने सहायता पाने से वंचित रह गए ?

डाक्टर चरण सिंह—

जनपद आजमगढ़ से वर्ष 1974-75 में 77 प्राइमरी पाठशालाओं के आवेदन पत्र अनुदान हेतु आये थे इनमें से 68 प्राइमरी पाठशालाओं को सहायता दी गई और 9 हरिजन प्राइमरी पाठशालायें सहायता पाने से बंचित रह गयी ।

देवरिया जिले में हरिजन हास्टलों की व्यवस्था

5—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कहां-कहां हरिजन हास्टल हैं उनमें कितने-कितने छात्र रहे हैं और उनकी सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने की क्या व्यवस्था है ?

डाक्टर चरण सिंह—

देवरिया जिले में हरिजन सहायक विभाग द्वारा देवरिया, लार, तथा बरहज में तीन हरिजन हास्टल संचालित हैं। देवरिया में 36, लार में 8 तथा बरहज में 11 छात्र हास्टलों में रहते हैं। इन हास्टलों में रहने वाले छात्रों को सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने-लिखने के लिये विभाग द्वारा रोशनी, फर्नीचर, रसोइये एवं लाइब्रेरी की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

तहसील, बहराइच के हरिजनों को आवास व्यवस्था हेतु स्वीकृत धनराशि

6—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले की तहसील बहराइच में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच के कार्यालय से विकास खंडवार आवास व्यवस्था हेतु किन-किन लोगों को कितना कितना धन वर्ष 1973 से अब तक दिया गया है और कितने लोगों ने धन प्राप्त कर लेने के बाद आवास निर्माण कराया है ?

डाक्टर चरण सिंह—

बहराइच जिले की तहसील बहराइच में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच के कार्यालय से विकास खंडवार आवास व्यवस्था हेतु जिन-जिन लोगों को जितना जितना धन वर्ष 1973 से अब तक दिया गया उसका विवरण तालिका (अ) पर संलग्न है। 23 व्यक्तियों ने धन प्राप्त कर लेने के बाद आवास निर्माण पूर्ण कराया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 499—501 पर।)

शाहजहांपुर की विधवाओं को दिया गया विधवा सहायक अनुदान

7—श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 जनवरी, 1975 से दिनांक 20 नवम्बर, 1975 तक शाहजहांपुर में कितनी निराश्रित विधवाओं द्वारा पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर अथवा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुये तथा उनमें से कितनी विधवाओं को पेन्शन स्वीकार की गयी, उनके नाम व पते क्या क्या हैं ?

डाक्टर चरण सिंह—

दिनांक 1-1-75 से 20-11-75 तक शाहजहांपुर में कुल 187 प्रार्थना पत्र विधवा सहायक अनुदान के लिये हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी/जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में प्राप्त हुये थे। उनमें से 76 विधवाओं को विधवा सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया जिनके नाम व पते संलग्न सूची† 'क' व 'ख' में दिये हुये हैं।

आजमगढ़ की हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को दिया गया अनुदान

8—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि वर्ष 1974-75 में आजमगढ में चल रहे हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयीं।

डाक्टर चरण सिंह--

जनपद आजमगढ़ में चल रहे हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को वर्ष 1974-75 में सरकार द्वारा 1,29,746 रु0 का अनुदान दिया गया।

बहराइच के हरिजनों एवं अन्य भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

9--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 28 जनवरी, 76 को बहराइच जनपद में ग्राम सभा व सीलिंग भूमि के पट्टों का वितरण किस अधिकारी द्वारा कितने हरिजन भूमिहीनों तथा कितने अन्य भूमिहीनों को किया गया है और किन-किन विकास खंड के किन गांवों के किन लोगों को कितनी-कितनी भूमि आवन्टित की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ के हरिजनों को आवास स्थल हेतु भूमि का आवंटन

10--श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 फरवरी, 1976 तक लखनऊ जिले में हरिजनों के आवास के लिये कितनी भूमि उपलब्ध की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

लखनऊ जिले में 1 फरवरी, 1976 तक हरिजनों को आवास हेतु 78.28 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई।

बहराइच के मोक्षद्वार हायर सेकेन्डरी स्कूल, कूरसहा के छात्रावास के निर्माणार्थ आवंटित धनराशि

11--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहराइच जनपद में हरिजन लड़कियों के लिये मोक्षद्वारा हायर सेकेन्डरी स्कूल, कूरसहा ब्लाक विश्वेसरगंज जनपद बहराइच में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावास निर्माण के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में कितना धन आवन्टित किया गया और छात्रावास निर्माण होकर उसमें कितनी हरिजन लड़कियां रहती है ? वर्तमान वर्ष 1975-76 में कौन-कौन हरिजन लड़कियां हैं उनके नाम, पता क्या हैं ?

डाक्टर चरण सिंह--

जी हां, बहराइच जनपद में हरिजन लड़कियों के लिये मोक्षद्वार हायर सेकन्ड्री स्कूल, कुरसहा ब्लाक विश्वेसरगंज जनपद बहराइच में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावास निर्माण के लिये वर्ष 1971-72 में रु0 46,500 आवंटित किया गया था। चार वर्ष की अवधि यतीत हो जाने के बाद भी छात्रावास निर्माण का कार्य संस्था द्वारा पूर्ण नहीं कराया जा सका। फलस्वरूप छात्रावास में लड़कियों के रहने का प्रश्न नहीं उठता।

12--श्री दयाराम भास्कर--

[6ठें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित]

जालौन के मौजा रेला की भूदान भूमि के पट्टे को निरस्त किये जाने की कार्यवाही

13--श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन) तथा डाक्टर मलखान सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जिला जालौन के परगना कापी-मौजा रेला में भू दान की भूमि के अनधिकृत लोगों के नाम किये गये पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां, पट्टों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही में अभी 3-4 माह का समय लगने की संभावना है।

ग्राम किसनपुर बराल, मेरठ के कतिपय हरिजनों को किये गये पट्टे की भूमि पर कब्जा

14--डाक्टर मलखान सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला मेरठ परगना बहसूद ग्राम-किसनपुर बराल के चार हरिजन श्री महाबीर, श्री मुलीराम, श्री दाताराम एवं श्री लक्खी राम को 26-1-76 में आवास भूमि के पट्टे दिए गये थे? यदि हां, तो उन्हें आज तक जमीन न दिये जाने का क्या कारण है और अब कब दी जायेगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां। आवंटित व्यक्तियों द्वारा सम्बन्धित भूमि पर मकान न बनाने के कारण अन्य हरिजनों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया। इन हरिजनों के आपसी झगड़े को निपटाने हेतु आवंटित व्यक्तियों को अन्य भूमि आवंटित की गयी जिसे वे लोग लेना नहीं चाहते हैं। इस के स्थान पर जिला परिषद् की भूमि चाहते हैं, जिसका आवंटन संभव नहीं है।

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के रसोइयां व कहारों का वेतन

15--डाक्टर मलखान सिंह--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त विभाग में अभी केवल पैंतिस और 25 रुपया मासिक वेतन पर रसोइया आदि कर्मचारी सेवा कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें बढ़ी हुई दर से वेतन देना स्वीकार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर चरण सिंह--

जी नहीं, रसोइया, कहार का वेतन 100 रु0 प्रतिमाह 15 जुलाई, 1975 से कर दिया गया है।

16--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

बहराइच में सीलिंग से प्राप्त अतिरिभूमि का आवंटन

17--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1975 से 1 फरवरी, 76 तक सीलिंग द्वारा बहराइच जनपद में कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित प्राप्त करके भूमिहीनों को आवंटित की गई साथ ही बहराइच जनपदों के विकास खंड, हरिहर पुर रानी, सिरसिया, इकौना एवं गिलौला में कितनी भूमि आवन्टन हेतु शेष है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिरसिया विकास खंड, बहराइच के थारू जनजाति को दी गयी सहायता

18--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतयेगी कि बहराइच जनपद के सिरयिसया विकास खंड के किन-किन गांवों में विमुक्त जनजाति (थारू) लोग रहते हैं और उन थारू जाति के उत्थान के लिये हरिजन समाज कल्याण विभाग बहराइच द्वारा विगत 1972 से अब तक कौन-कौन प्रकार की सहायता कब-कब की गई?

डाक्टर चरण सिंह—

बहराइच जनपद के सिरसिया विकास खंड के जिन-जिन गांवों में थारू जनजाति के लोग रहते हैं और उनके उत्थान के लिये विगत 1972 से अब तक जिस-जिस प्रकार की सहायता जब-जब दी गई, उसकी विस्तृत सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. 502 पर ।)

तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी के भूमिहीनों को भूदान भूमि का कथित आवंटन

19—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर में 1 जनवरी, 74 से 30 जनवरी, 1976 तक भूदान यज्ञ कमेटी की जमीन किस ग्राम में किस भूमिहीन के नाम भूदान यज्ञ के संयोजक ने दिया ? और क्या इसकी एक सूची सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्नगत तहसील में 1-1-74 से 30-1-76 तक भूदान की भूमि को वितरित किये जाने संबंधी कोई सूची भूदान यज्ञ कमेटी के संयोजक द्वारा नहीं दी गयी है । अतः सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी में सीलिंग से प्राप्त भूमि तथा उसका आवंटन

20—श्री गिरिजा शंकर पाठक—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद वाराणसा की तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत किन-किन काश्तकारों की जमीन सीलिंग के अन्तर्गत प्रभावित हुई है उनका कुल रकबा कितना है और प्राप्त जमीन अब तक भूमिहीनों में बांटी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वाराणसी के तहसील ज्ञानपुर के 64 खातेदारों की कुल 507.28 एक अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित हुई थी । जिसमें से 20 खातेदारों को नोटिस न्यायालयों द्वारा निरस्त कर दी गई । 44 खातेदारों की 409.49 एक भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी । जिसमें से 32 खातेदार अतिरिक्त भूमि के विरुद्ध अपील में चले गये । इस प्रकार अब तक 93.25 एकड़ भूमि अन्तिम रूप से अतिरिक्त अवधारित हुई । इसमें से 3. 6 एकड़ भूमि पर अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित होने के कारण कब्जा नहीं लिया जा सकता । शेष 89.39 एकड़ भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है । कब्जा ली गई 89.39 एकड़ भूमि में से 6.75 एक भूमि 8 अनुसूचित जाति तथा 3 अन्य जाति कुल 11 व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई है । शेष 82.64 एक भूमि 17-1-75 के बाद अन्तिम हुई है । यह भूमि ऐसे खातेदारों की है जिनके सबंध में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण संशोधन अधिनियम, 1974 के अधीन 10(2) के अन्तर्गत नोटिस देकर पुनः मुकदमा चलाये जाने हेतु पत्रावालियां तैयार की जा रही हैं । उक्त अतिरिक्त भूमि को पूनः नये मुकदमों में अतिरिक्त भूमि के रूप में प्रस्तावित किये जाने के कारण आवंटन नहीं किया गया है ।

64 खातेदारों की सूची अध्यक्ष महोदय के कक्ष में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 503-504 पर ।)

बहराइच में हदबन्दी कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमि तथा उसका आवंटन

21—श्री बाबूलाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-9-75 तक मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बहराइच जिले में हदबंदी कानून के अन्तर्गत घोषित

कितने भू-स्वामियों पर कितनी भूमि निकली तथा कितनी भूमि भूमिहीनों में (तहसीलवार) वितरित की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बहराइच की कतिपय तहसीलों में सीलिंग से प्राप्त भूमि तथा उसका आवंटन

22--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद बहराइच की तहसील नानपारा, बहराइच के कैसरगंज में किन-किन लोगों की जमीन सीलिंग में निकली तथा उसको किन-किन लोगों में वितरित किया गया ? उनमें हरिजनों को जमीन दिये जाने का प्रतिशत क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत जनपद बहराइच की तहसील नानपारा, बहराइच तथा कैसरगंज में अब तक कुल 734 खातेदारों की 6907.210 एक ड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है । खातेदारों की सूची लम्बी है । अतः सदस्य महोदय की सूचनार्थ उसकी एक प्रतिलिपि † अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रख दी गई है।

2--उक्त तीनों तहसीलों में 4622 एक ड़ भूमि 4529 परिवारों में वितरित की गई है । इसमें से 3051 एक ड़ भूमि 2583 हरिजनों को तथा 1571 एक ड़ भूमि 1946 गैर हरिजनों को दी गई है । हरिजनों को 66 प्रतिशत भूमि दी गई है।

जैतपुर, जिला फैजाबाद के थानाध्यक्ष के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना श्री भगवती प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद) ने थानाध्यक्ष, जैतपुर, जिला फैजाबाद श्री राय के विरुद्ध दी है । श्री भगवती प्रसाद का कहना है कि वे 21 अप्रैल, 1976 को प्रातः 6 बजे की बस से बस स्टेशन नेवादा से वापस आ रहे थे । बस में विधायक की अतिरिक्त सीट पर उक्त थानाध्यक्ष अपने सहायक दारोगा के साथ बैठे थे । माननीय सदस्य के अनुरोध करने पर कि वे कृपया आरक्षित स्थान खाली कर दें, श्री राय अशोभनीय उत्तर देने पर तत्पर हो गये और अहम्भाव से आरक्षित सीट पर बैठे रहे । कण्डक्टर की भी हिम्मत श्री राय से सीट खाली करवाने की नहीं पड़ी । अतः माननीय सदस्य ने बस की पूरी यात्रा खड़े खड़े की, जिससे उनका अपमान हुआ और उनकी प्रतिष्ठा गिरी ।

जो तथ्य दिये गये हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि उनके संबंध माननीय सदस्य के सदन के किसी कार्य से नहीं है । अतः मैं इसे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाने की इजाजत नहीं देता हूं परन्तु इसे माननीय मुख्य मंत्री के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा ।

रोज-रोज जो थानेदारों और पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार की शिकायत माननीय सदस्यों की होती ह, मैं इसको गम्भीरता के साथ लेना चाहता हूं और मैं शासन से यह अनुरोध करता हूं कि प्रथम चरण में इसकी जांच करके जो भी स्थिति हो उससे सदन को अवगत करावे ।

---

†छापी नहीं गयी ।

सदस्य, विधान सभा, श्री खूब चन्द के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में एटा जिले के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक दूसरा भी आया है जो उससे भी भयंकर है। उसे मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। अगर कोई ऐसा दरोगा है तो वह दरोगा होने लायक नहीं है। जो गालियां इसमें लिखी हैं उनको मैं पढ़ कर यहां सुनाना भी नहीं चाहता। इसको मैं शासन को भेज रहा हूं। श्री खूबचन्द जी ने जो जो गालियां इसमें लिखी हैं.....

श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाज़पेयी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा--शासन की ओर से इसके लिये प्रयास है और उस दरोगा के खिलाफ बिना जांच के अविलम्ब कार्यवाही की जायेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्री खूबचन्द जी का यह मामला विशेष रूप से बहुत गम्भीर है और यह विशेषाधिकार की अवहेलना स्पष्ट रूप से है।

श्री अध्यक्ष--

अभी मैं इस पर कोई फैसला नहीं कर रहा हूं। मैं इसको गम्भीर समझता हूं और वैसा विचार व्यक्त कर रहा हूं। अगर ऐसी बात हुई है जो माननीय सदस्य ने लिखा है, मैं उसको आपके सामने पढ़ना भी उचित नहीं समझता हूं और अगर यह बात सही है तो वह थानेदार रहने लायक नहीं है। अभी मैं इसको शासन को भेज रहा हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा यह कहना है कि इसको शासन के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सक्षम हैं और इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजें।

श्री अध्यक्ष--

पहले शासन की रिपोर्ट भी आने दीजिये। अन्ततोगत्वा जो आप करेंगे वह संस्तुत्यात्मक ही होगा दंडात्मक कम। जब शासन जांच करने के लिये राजी है तो आप इस पर क्यों जोर दे रहे हैं?

श्री काशी नाथ मिश्र--

दोनों में अन्तर है। यह हमारे अधिकार की बात है जो विधान सभा के सदस्य हैं, और विधान सभा सक्षम है इस पर कार्यवाही करने के लिये, इसमें सरकार के दखलन्दाजी करने की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

रिपोर्ट आयेगी तो फिर यह आ जायेगा विशेषाधिकार का प्रश्न। मैं अभी विशेषाधिकार का प्रश्न समाप्त थोड़े कर रहा हूं। केवल आपकी सहायता के लिये मैंने कुछ असाधारण विवचना प्रस्तुत करने के लिये शासन को भेजा है, फिर वह आयेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हाउस आफ कामन्स की पद्धति को यहां भी अपनाना चाहिये। सरकार हमारे मातहत है, हम सरकार के मातहत नहीं है। जब माननीय सदस्य का अपमान होता है तो इसमें हमें सरकार से मदद नहीं लनी चाहिये। सदन इसके लिये सक्षम है कि वह अपनी रक्षा करे।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य काफी उत्तेजित हैं, इसलिये कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गयी है, ऐसा प्रतीत होता है और इतनी गम्भीर बात है कि जिसको आपने सदन में पढ़ कर सुनाना भी बहुत उचित नहीं समझा है। शासन भी इसको बहुत गम्भीरता

के साथ ले रहा है और जैसा कि आपने आदेश दिया है और जो नियमावली है उसके अनुरूप कार्यवाही करके फिर आपके आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

एक सप्ताह में आप बतला दें, सदन को ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह था कि जो भी जांच की कार्यवाही सरकार करे, जांच करने की कार्यवाही कम से कम एक हफ्ते के अंदर समाप्त हो जाय और जांच की रिपोर्ट सदन को मिल सके ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

वह तो 3 दिन के अन्दर ही कर ली जायगी । माननीय सदस्य एक हफ्ते की बात कह रहे हैं, वह 3 दिन के अन्दर पूरी हो जायगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं इस जांच को भी माननीय सदस्य और सदन का अपमान समझता हूं । माननीय सदस्य कहते हैं कि वोट डालने जा रहे थे तो उनको पीटा गया और पुलिस ने अनुचित व्यवहार किया । अब माननीय सदस्य की बात न मानकर के सरकार से इसकी जांच करायी जाती है तो मैं समझता हूं कि. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

अभी विशेषाधिकार के बारे में मैंने निर्णय नहीं दिया ।

एक सदस्य--

मान्यवर, यह जो हादसा हुआ है, इसमें एस० पी० ने भी कोई कार्यवाही नहीं की है । जब एस० पी० का ऐसा व्यवहार है तो सही जांच की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आ पायेगी ।

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, संबंधित सदस्य की बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य वही बात कहेंगे जो इसमें लिखी हुयी है । जो इसमें लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ नहीं सकता । मैंने इस सदन में उसके बारे में संकेत कर दिया है गाली गलौज को मैं नहीं चाहता हूं कि पढ़ूं । 3 दिन के बाद रिपोर्ट आ जायगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जांच की रिपोर्ट तो आयेगी ।

(अनके माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये और बोलना शुरू कर दिये ।)

श्री अध्यक्ष--

नहीं-नहीं ऐसे नहीं । सवाल यह है कि जब कोई ऐसी बात कही गयी है और मैंने खुद उसको महसूस किया है, मैं स्वयं उसको गंभीरता से ले रहा हूं, तब आप इतने उद्विग्न न हो ।

एक सदस्य--

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात सुन ली जाय ।

श्री अध्यक्ष--

समय आयेगा तब । आपसे ज्यादा मामले की गंभीरता समझ कर इस मामले पर मैं कार्यवाही कर रहा हूं । 3 दिन के बाद इसकी जांच रिपोर्ट आ जायगी । विशेषाधिकार में भेजना होगा, तो भेज देंगे और जो कार्यवाही होगी वह की जायगी ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

1976-77 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व, अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी, अनुदान संख्या 39--दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 75--जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल को सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7 - भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवयश्क धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,46,52,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,07,54,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39--दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,81,70,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल को सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75--जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,25,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, जहां तक राजस्व के बजट का प्रश्न है यह तो माननीय सदन इस बात से सहमत होगा कि जो इसमें खर्चाजात हैं उनके लिये लाया गया है और 20-सूत्री कार्यक्रम के पूरा करने के लिये जो राजस्व की आवश्यकता है उसके लिये । राजस्व विभाग का जो बजट पेश कर रहा हूं । वह इसलिये कि पिछले वर्ष और इस वर्ष के राजस्व विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुये हैं । गांव सभा में नियत भूमि और अधिकतम जोत सीमा आरोपण के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि वितरण का काम कई सालों से चल रहा है । 1 अगस्त, 1975 से इसमें तीव्रता लाई गयी और इस कार्य में एक अभियान का रूप लाया गया । 10 माह के अन्दर लगभग 17 लाख एकड़ भूमि 18 लाख आदमियों में बांटी गयी जिनमें 10 लाख 44 हजार अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के खेतिहर मजदूर है और 5 लाख 47 हजार भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं और 2 लाख 8 हजार छोटे काश्तकार हैं जिसमें लगभग 50-60 प्रतिशत लोगों को कब्जा भी दिलाया जा चका है और 15 अप्रैल, 1976 तक अभियान चलाया गया । शेष लोगों को और कब्जा दिलाया जायगा । कब्जा दिलाने का काम कठिन और समय लगने वाला काम है क्योंकि इससे भूमि की पैमाइश और नक्शा बनाना तथा पट्टा का लिखा जाना और अभिलेखों की इन्द्राज करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त 11 लाख 97 हजार व्यक्तियों को आवास स्थल आबंटित किये जा चुके हैं । अधिकतम जोत सीमा आरोपण के अन्तर्गत 1 लाख 45 हजार एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की जा सकी जिसमें 68 हजार एकड़ भूमि का आबंटन हो चका है । यह काम हुआ है और इसको शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, इसी बीच में भूमि सुधार नियमों तथा अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये गये और उनक कार्यान्वियन में जो कठिनाई थी उसको दूर किया गया। प्रदेश में जो असमानतायें हैं उनको दूर करने के लिये और बन्दोबस्त को फिर से ठीक करने के लिये आपके सामने विधेयक लाया जायेगा। अब देखा गया है कि कई जगह एक ही किस्म के कई राजस्व लगान हैं उनका भी एक विधेयक लाया जा रहा है। सर्किल को चेन्ज किया जायेगा और भूमि संबंधी जितने नियम हैं अब उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिसके लिये अधिनियम अगले सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

जब श्रीमन्, आबकारी का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें अभी तक हमारी देशी शराब नीलाम होती थी और विदेशी मदिरा का एकाधिकार कब्जा था और अभी तक कुल 50–60 परिवारों में केन्द्रित था। तो हमने उसको नीलाम कराया ताकि एकाधिकार कब्जा जो है, वह हटे। हमारी राज्य सरकार की पालिसी प्रोहीबीशन की है और उसके हिसाब से हमने कई पहाड़ी जिलों में, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कई तीर्थ स्थानों में और महात्मांगांधी के जन्म और मृत्यु के दिवस पर, होली और दीवाली पर्व के दिनों में प्रोहीबीशन की पालिसी को आगे चलाने के लिये उन दिनों शराब बन्द कर दी गयी है। तनख्वाह के अगले दिन भी शराब की दुकान बन्द कर दी गयी हैं। इसी प्रकार हमारा एक प्रचारक स्टाफ है जो देहातों मे जाकर प्रचार करता है कि शराब पीना अच्छी चीज नहीं है। श्रीमन्, इस प्रकार से प्राहिबिशन का भी खर्चा उसमें है। आबकारी के सम्बन्ध में ज्यादा कह कर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जहां एडलटरेशन होगा या नाजायज निकासी होगी उसको रोकने के लिये का प्रबन्ध किया गया है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि आबकारी और राजस्व के सम्बन्ध में जो बजट प्रस्तुत है उसको पास करने की कृपा करें। जय हिंद।

*श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7––भू-राजस्व, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटकार एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39––दैवी आपदाओं के कारण सहायता, संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75––जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

मान्यवर, बीस सूत्री कार्यक्रम के लागू होने के बाद राजस्व विभाग के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूमि आवंटन की आयी और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह प्रश्न गम्भीरता के साथ लिया गया और वर्तमान मंत्री स्वामी प्रसाद सिंह जी का मैं बड़ा आभारी हूं और हमारे दल का उनमें विश्वास है कि उन्होंने बड़ी मजबूती से यह काम किया और जितना किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र है। लेकिन मान्यवर, फिर भी ऐसा लगता है कि भूमि आवंटन के मामले में बहुत सी गड़बड़ी हुई हैं और हो रही है। इस सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई थी कि फरवरी के अंत तक यह काम पूरा हो जायगा। भूतपूर्व मुख्य मंत्री, बहुगुणा जी ने यह कहा था और राष्ट्रपति शासनकाल में चीफ सेक्रेटरी महमूद बट साहब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम चन्द्र बक्श]
ने भी यह कहा था लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि कागज पर चाहे जो लिख दें लेकिन अगर इसी प्रकार से करते रहे तो सन् 76 तक भी यह पूरा नहीं कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में बहुत अच्छे विधेयक भी लाये गये। भूमि संशोधन विधेयक, 1975 और सीलिंग का वर्तमान संशोधन लाया गया। इसमें एक बात तो यह थी कि 3.1/8 एकड़ भूमि पर अगर किसी हरिजन भूमिहीन का कब्जा है तो उनको बेदखल नहीं किया जायगा। लेकिन बाद में कोई जी0 ओ0 गया और उसमें यह कहा गया कि अगर कब्जा कागजात में दर्ज है तभी वह माना जायगा वरना नहीं। दूसरी बात यह थी कि 52 से लेकर आज तक अगर गलत तरीके से कोई पट्टा किया गया है तो डी0 एम0 जांच करके निरस्त कर सकता है। इसमें मेरा यह प्रश्न है कि इस कानून के बाद कौन सी प्रक्रिया अब तक चालू की गई। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सन् 52 से लेकर अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। जब कि संशोधन की यह मंशा थी कि 1952 से लेकर यह पट्टे किए जाएं। जिस तेजी के साथ इस काम को किया जा रहा है उसके लिए करने वालों के पास उतना टाइम ही नहीं है कि उसको करें। शायद 1976 में भी उनको इतना टाइम नहीं मिल सकेगा कि वे 1952 से पट्टों की जांच करके, बल प्रयोग करके जो बड़े-बड़े भू-स्वामी है, भूमि के चोर हैं और जो आदेशों की अवहेलना करके भूमि पर कब्जा किए हुए है उनसे भूमि निकलवा सकें। सदन में आए दिन यह चर्चा होती रहती है। आप यह देखिए कि कितने लोगों पर बल प्रयोग करके भूमि निकलवाई गई है। लखीमपुर खीरी या अन्य एक दो जगहों में जहां मन्त्री जी गए होंगे वहां पर तो शायद यह काम हुआ हो लेकिन अन्य स्थानों में कुछ भी नहीं हो पाया है।

सीलिंग ऐक्ट में भी संशोधन हुआ, 1960 के बाद 1975 में भी संशोधन किया गया लेकिन वास्तव में यह बड़ा दुर्भाग्य है कि सीलिंग के नाम पर इसको बड़ा ही लाइटली लिया जाता है। अब भी हरिद्वार के महन्त के पास कब्जा बना हुआ है। उनको सीलिंग की नोटिस तक नहीं दी गई है। यह नोटिस 1960 से लेकर अब तक उनको नहीं दी गई है और अब डी0 एम0 को इसके आदेश दिए गए हैं। इसी तरह से जनरल शाहनवाज खां के पास न मालूम कितनी भूमि है जो हमारे केन्द्र के मन्त्री रहे हैं। इसी तरह के अनेक बड़े-बड़े लोगों के पास अवैध भूमि का कब्जा बना हुआ है। जब आपका युद्ध स्तर पर काम हो रहा है तब तो आप इसको करवा नहीं सके, आगे कैसे होगा? श्री टी0 पी0 भल्ल के पास भी भूमि है। मेरा तो यह विश्वास है कि सीलिंग के सवाल को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है।

आंकड़ों के अनुसार सन् 1960 के ऐक्ट के अनुसार आपके पास सरप्लस भूमि 1,23,563 एकड़ थी, जिसमें से आपने 62,615 एकड़ भूमि बांटी। बकाया जमीन क्या हो गई? सन् 1972 के हिसाब से 92,704 एकड़ जमीन सरप्लस घोषित हुई थी लेकिन केवल 796 एकड़ भूमि पर ही सरकार ने कब्जा प्राप्त किया। किस हिसाब से क्या किया गया पता नहीं? आप की तो यह घोषणा थी कि लैन्ड बिल गो टु दी टिलर आफ दी लैन्ड। आज इतना समय होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। नारा लगाया गया दुर्बल लोगों को राहत देने के लिए। लेकिन अगर धीमी गति से चले तो इसमें एक शताब्दी लग जायगी खाली यह सवाल नहीं है कि जमीन उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है सवाल यह है कि आज इसके अन्दर घुसपैठ प्रतिक्रियावादियों की, साम्राज्यवादियों की, प्रजातन्त्र के विरोधियों की, फासिस्टों की शकल में हुई है। यह देहात के कुलक्स का सारा मामला है। गांव सभा की थोड़ी बहुत जमीन बट रही है लेकिन सीलिंग के बड़े-बड़े मामले जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। इस सम्बन्ध में जरा ठोस कदम उठाना चाहिए और संशोधन जो हों वह जरा अमली हों। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है इसको लागू करने के लिए इस तरह से कानूनों की जरूरत है और इनके बाद यह मामला हल हो जाएगा। दूसरा संशोधन लाया गया भू-दान समिति के नाम पर और इस प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन भू-दान

का सहारा ले कर बड़े-बड़े लोगों ने हड़प कर रखी है। बाराबंकी के निकट जितनी जमीन ह वह बड़े-बड़े व्यापारियों के पास, बड़े-बड़े लोगों के पास है और भू-दान समिति से मिल कर उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। यह किया गया कि भू-दान समिति आबंटन न करे तो आबंटन एस0 डी0 ओ0 कर देगा और डी0 एम0 पट्टा निरस्त कर देगा। लेकिन मेरा कहना है कि भू-दान के नाम पर कितनी जमीन चोरी गयी है उसका पता लगाने के लिए ऐक्ट में केवल संशोधन की जरूरत नहीं है बल्कि बकायदा आदेश दिए जाने चाहिये और वह जमीन चाहे भूदान की हो, चाहे सीलिंग की हो या गांव समाज की हो उस पर से नाजायज कब्जे हटाए जाने चाहिए और फिर उसका आबंटन किया जाना चाहिए। इस तरह 16 लाख एकड़ जमीन अब तक बांटी जा चुकी है।

आज कल बड़े जोर शोर से पैदल यात्रा की जा रही है, हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस मन्त्री लोग कर रहे हैं तब यह हालत है। प्रधान मन्त्री का निर्देश था कि व्यापक जन सहयोग भूमि आबंटन के मामले में लिया जाय। मैं जानना चाहूंगा क्या जन सहयोग आपने लिया है? खाली भूमि व्यवस्था समिति बनाई गयी। किस तरह से लोग उसमें रखे गए? क्या आपको नहीं मालूम, किसको नहीं मालूम है कि चौधरी चरण सिंह, जनसंघ वाले नहीं चाहते थे कि भूमि का आबंटन किया जाय लेकिन उस समिति में उनके दल के प्रतिनिधि भी रखे ग.। और लोग भी रखे गए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अधिकार उस समिति को दिए गए, कितनी मीटिंग्स हुईं अब तक? वास्तव में ऐसे लोगों को इस समिति में रखा जाय जो लैन्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कमिटेड हों, गरीबों के प्रतिनिधि हों, यह नहीं कि कुलक लोग उसमें हों, बड़े-बड़े लोगों के प्रतिनिधि हों। इससे कमेटी नहीं चल सकेगी। फिर जिला लेबिल पर, प्रान्तीय लेबिल पर जो कोआर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात थी, क्या उनको आपने बनाया? किसी भी जिले में कोई कमेटी नहीं बनायी गई। प्राविन्स लेबल पर भी नहीं बनायी। यदि बनायी भी गई है तो उसमें आप ही के दल के लोग हैं। आपकी तो सरकार ही है। लेकिन जो कमिटेड लोग हैं उनको उसमें लेना चाहिए था। हम लोग नहीं चाहते। हमें शिकायत नहीं है। शिकायत केवल इस बात पर है कि इस मामले में उन लोगों का सहयोग नहीं लिया गया जो कि उसमें सहयोग देना चाहते थे, जिन्होंने संघर्ष किया था कि किसानों को जमीन मिलनी चाहिए। सन् 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी ने आन्दोलन के जरिये से यह कहा था कि हिन्दुस्तान में बहुत जमीन है, प्रान्त में बहुत जमीन है, उसे बांटना चाहिये। जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा किया जाना चाहिये। मालूम हुआ कि अकेले बिरला के पास 80 हजार एकड़ जमीन है। उसमें कितने ही रिटायर्ड कर्नल्स और जनरल्स हैं। हम लोग जो संघर्ष करते रहे हैं किसी भी लेबल पर कहीं भी कोई कमेटी नहीं बनायी गई।

सेन्ट्रल के किसी मिनिस्टर का एक बयान था जिसमें यह कहा गया था कि 20 सूत्री कार्यक्रम की जांच के लिए एक मूल्यांकन कमेटी बनायी जाएगी। किसका मूल्यांकन करना है, कहां का मूल्यांकन करना है? दूसरी बात यह है कि एक आदेश भूमि आबंटन के सिलसिले में आपके यहां से गया और उससे यह काम ठप्प कर दिया। 8 प्रतिशत जो गांव समाज की रिजर्व जमीन थी वह भी बंटनी चाहिए। बाद में सरकारी तरफ से यह आदेश गया कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है और तदुपरान्त आदेश द्वारा उसे रोक दिया गया। प्रश्नों के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी स्पष्ट किया। एक हाकिम तहसील से मेरी व्यक्तिगत बात हुई और उसने कहा कि आदेश आ गए हैं लेकिन इस भूमि का आबंटन नहीं होगा। मैंने पूछा कि जो हो गया है उसका क्या होगा? तो मुझे बताया गया कि जो हो गया वह हो गया बाकी नहीं होगा। पट्टे कैंसिल किए गए तो लोगों को परेशानी

[श्री रामचन्द्र बक्श सिंह]
होगी और कैंसिल नहीं हुए तो एक डुअल पालिसी प्रदेश में हो जाएगी। मुख्य मन्त्री जी के निर्वाचन क्षेत्र, नैनीताल में 18 एकड़ तक तो रेगुलराइज कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेन्ड करते हैं इसी वजह से आपको संशोधनों के ऊपर संशोधन लाने पड़ते हैं। वरना संशोधनों की जरूरत ही न पड़े।

मैं कहना चाहता हूं कि पहले क्यों आर्डर नहीं दिए गए कि चारागाह और खलिहान ऐसी चीज जो हैं उनका आबंटन नहीं होगा। तभी गड़बड़ी होती है। मालूम नहीं होता कि कौन अधिकारी किस तरीके से कौन-सी जमीन कब बांट रहा है। हम लोगों ने पूछा था कि पहले पड़ताल की जाय और भूमिहीनों की सूची बनायी जाय। गांवों में कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। इस तरह से आपके आदेश जायेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? इस प्रदेश की जनता के पैसे का इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब गड़बड़ी हुई तो आर्डर निकाल दिया और कानून में गड़बड़ी हुई तो दूसरा संशोधन निकाल दिया। यह एक सीरियस मुद्दा है, भूमि आबंटन का। यह पूरा देश तसलीम करता है।

अब मान्यवर, सन् 1952 से डी0 एम0 को अधिकार दे दिया गया है कि वह पट्टे को निरस्त कर सकते हैं। मैं उनको नोटिस में यह बतलाना चाहता हूं कि विधान सभा में जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास होने के बाद 99 लाख एकड़ जमीन ग्राम सभाओं में निहित की गई और 1969 तक 25 लाख एकड़ जमीन सीरदारी पट्टे पर दी गई और 1974 में सिर्फ 14 लाख एकड़ जमीन सरकार के पास बांटने को उपलब्ध है। तो मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बाकी जमीन का क्या हुआ? मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के वक्त जिन लोगों को डी0 एम0 से लेखपालों से या रेवेन्यू विभाग के अन्य कर्मचारियों से जान पहचान थी उन लोगों ने उनकी आकांक्षा को समझा और आने वाले हालात को भी समझा और कागज में नाम बदल दिये। इस तरह के 44 लाख एकड़ में फर्जी नाम रख दिए और वह बांटी हुई दिखा दी। उसको उस वक्त दूसरे के नाम दिखा दी, हरिजनों के नाम दिखा दी लेकिन एक्चुअल में वह ट्रान्सफर नहीं हुई और बाद में फिर ट्रान्सफर करा दिया। यह सेंट परसेंट नहीं हुआ तो अधिकांश में ऐसा हुआ "एक्सेप्शन्स आर एवरी बहेयर" सन् 1969 में जो 25 लाख एकड़ जमीन आबंटित की गई वह प्रधानों द्वारा बड़े-बड़े आदमियों के रिश्तेदारों के नाम कर दी गई और अगर वहां हरिजनों को दी गई तो वह बाद में ट्रान्सफर करा ली गई। मैं कहना चाहता हूं कि जांच कराएं डी0 एम0 से इस बात की बाकायदा तौर से जांच करायें और इस तरह से बांटी गई जमीन बीसियों एकड़ में निकलेगी।

अब मान्यवर, मैं दूसरी चीज लैन्ड रिकार्ड के बारे में कहना चाहता हूं। मैं हाल ही में मिर्जापुर गया था वहां मुझे रिकार्ड देखने का मौका मिला। जो वहां के रहने वाले आदिवासी हैं या गरीब लोग हैं उनके पास कोई जमीन ही नहीं है। अगर किसी के नाम 10 बीघे जमीन है तो उसको आप देखें और नापें तो एक तरफ से एक कहेगा इधर से मेरी है और दूसरी तरफ से दूसरा कहता है मेरी है। एक वकील होने के नाते मुझे इस बात की जानकारी है और लोगों की भी शिकायतें हैं। कई जगह तो मैंने आपने हाथ से नापजोख भी की। तो नक्शे में जो नम्बर लिखा होता है वह स्थान पर मिलेगा नहीं। खतौनी में जो नम्बर है वह नक्शे में नहीं मिलेगा। यह एक दूसरे से टैली नहीं करते हैं। यह मेरा जातीय तजुर्बा है। मौके पर प्लाट मिलेगा ही नहीं। यह एक आध जगह की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। लोगों की शिकायत है कि जो रिकार्ड बना है वह गलत तरीके से बना है इसको ठीक किया जाना चाहिए, मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि इसको लगान के आधार पर ठीक किया जाएगा। जो पुराने जमींदार थे या बड़े-बड़े लोग थे उन्होंने किस तरह के गड़बड़ी करवाई है। माननीय मन्त्री जी, इस संबंध में कोई विधेयक लाने की बात परम आवश्यक है।

इससे आपकी लाखों रुपए की रेवेन्यू बढ़ जाएगी। लेकिन यह भी आवश्यक है कि आप उसे कायदे से इम्पलीमेंट करें। क्योंकि अच्छी-अच्छी नीतियां भी उनका कार्यान्वयन गलत हो जाने के कारण असफल हो जाती हैं और उनके उपलब्धि नहीं हो पाती है।

अब गवर्नमेंट की वसूली के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि रेवेन्यू विभाग इस दिशा में गरीबों और अमीरों के साथ मतभेद बरत रहा है। जिस समय दिसम्बर, 1974 में बहुगुणा जी ने कहा था कि हमारे खजाने में रुपया नहीं रह गया है, उस वक्त से आज तक रिकवरी पर बहुत जोर पड़ा है। छोटे-छोटे किसानों के साथ बड़ी सख्ती बरती जा रही है। जिन्होंने तकावी लोन लिया था, जिनको आज तक जमीन नहीं मिल पायी, वह पैसा कैसे अदा करें, उनके साथ वसूली में बड़ी ज्यादती की जा रही है। आपने इस दृष्टि से नया कीर्तिमान स्थापित होने की जो बात कही है, वह ठीक है, लेकिन बड़े-बड़े लोग इसमें भी बच गए हैं। राजनैतिक नेता, बड़े-बड़े किसान जिनकी ऊपर पहुंच है, वह इसमें बच गए हैं या छूट और सुविधा पूरी ले रखी है। लेन्ड रेवेन्यू का 10 हजार बाकी है तो 5 हजार जमा कर देंगे, बाकी की छूट मिल जाएगी। लेकिन छोटे-छोटे आदमी को जेल में बन्द कर दिया जाएगा, उसके हल, बैल सब नीलाम कर दिए जाएंगे। जो कुछ भी कानून में हैं, सब उन पर सख्ती की जायेगी। मेरा निवेदन है कि रिकवरी पहले बड़े लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। जो लोग जेल में जाना कतई पसन्द नहीं करेंगे और देने में समर्थ भी हैं। जिस समय सवा छः एकड़ तक की लगान से माफी की बात आई, कुछ लोगों से एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लिया गया। सन् 1960 में चकबन्दी ऐक्ट बना, जब चकबन्दी में बढ़े तो उसमें किया जाए, जिससे आपको देना न पड़े, तो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स का 8 लाख से ऊपर रुपया बाकी है। लेकिन वह रुपया किसी बड़े आदमी से नहीं वसूल किया गया, वह अब तक बाकी है। मंत्री जी क्या कोई नाम लेंगे कि हम बड़े आदमी के खिलाफ वारन्ट इश्यू किया गया या इसको कटघरे में बन्द किया गया? उसी तरह के लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 59 का जो 11 लाख 87 हजार रुपया बाकी है, क्या उसके अन्दर किसी एक बड़े आदमी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई?

सदस्य, विधान सभा श्री खूब चन्द के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में एटा जिले के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना [क्रमागत]

श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

अभी-अभी सदन में जो आपने चिन्ता व्यक्त की थी और उस ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया था, उस सिलिसले में अभी फौरन कार्यवाही की गई है और यह आदेश शासन की ओर से जिले में चले गए हैं कि इसमें जो एस0 ओ0 या सम्बन्धित अधिकारी के नाम इन्वाल्वड हैं, उन सबको सस्पेन्ड किया जाय तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही फौरन की जाए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मैं जानना चाहूंगा एस0 ओ0 के खिलाफ आप कार्यवाही कर देंगे, लेकिन उस एस0 ओ0 का सरपरस्त जो एस0 पी0 है, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? बिना उस पर ऐक्शन लिए कुछ होने वाला नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह भी भेज दिया है, होम सेक्रेटरी को भेज दिया है, सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब तक वह एस0 पी0 वहां है, तब तक कोई इन्क्वायरी वहां सम्भव नहीं होगी। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अविलम्ब उस एस0 पी0 का तबादला ही कर दीजिए।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

|| || अगर एस0 पी0 इसी में पाए जा रहे हैं कि उनकी नेग्लीजेन्स है तो वह भी वहां से ट्रान्सफर कर दिए जाएंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, उसको तुरन्त वहां से हटा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

देखिये मिनटों के अन्दर इस शासन ने यह कार्यवाही की, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब जो और बातें हैं हम यहां बैठे सब नहीं जान सकते हैं। कार्यवाही तो वह करेंगी ही।

1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व, अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी, अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर—(क्रमागत)

*श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि बड़े लोगों पर जो टैक्स बाकी है, उसकी वसूली नहीं की गई। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कौनसी सख्त कार्यवाही वसूली की की गई है? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कह दूं कि सिर्फ 72 लाख 22 हजार, 49 रुपए में 14 लाख रुपए के मामले अदालतों में पड़े हुए हैं। लेकिन बकिया मामलों के अन्दर रिकवरी सख्त क्यों नहीं की गयी? आज इस जमाने में जब कहते हैं कि हम गरीबों के साथी हैं, बड़ों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका विश्वास जनता में बढ़े। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह हमला बड़े लोगों के खिलाफ है न कि छोटे लोगों के खिलाफ, यह वसूली छोटे लोगों से है, न कि बड़े लोगों से है। अगर इस तरह से कार्यवाही जारी रही तो इससे जनता में विश्वास पैदा होने वाला नहीं है। मान्यवर, इस जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोगों की जानकारी में है। बहुत से इसमें प्रधान हैं तो जानते नहीं हैं, बल्कि वे हस्ताक्षर तक ही कर देते हैं। कहीं-कहीं पर तो कुछ ऐसा हुआ कि प्रस्ताव कुछ हुआ और हुआ कुछ और। लेखपालों ने दूसरे कागज पर दस्तखत कराए। पूरे आबंटन के अन्दर, हर तहसील में शिकायत है। लेखपालों से लेकर तहसील के स्टाफ तक 100-100 रुपए डेढ़-डेढ़ सौ रुपए लेकर उनको जमीन का, जैसे जमींदार नजराना लेकर पट्टा करते थे, उसी तरीके से पट्टा किया गया है। दो महीनों के अन्दर 500 अप्लीकेशन्स चढ़ा कर दी गयीं। डी0 एम0 से मिले। डी0 एम0 ने तो कह दिया कि आप लोग तो आदी हैं अप्लीकेशन्स देने के, कोई ठोस बात बताइए, तब हम कुछ कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, तहसील फतेहपुर के अन्दर कहीं पर तालाब बांटा गया है, कहीं पर ऊसर बांटा गया। मान्यवर, परगना कुर्सी मशहूर परगना है। वहां पर हम लोग गए एक गांव के अन्दर, तो मालूम हुआ है कि 30 बीघा की जमीन जो है, उस पर आज भी प्रधान गलत तरीके से काबिज है। बकिया जो 60-62 आदमियों को जो जमीन दी गई, वह या तो कब्रिस्तान या गलियारा है, होली, जहां पर होती थी, मुसलमानों के कब्रिस्तान जो थे, वे एलाट कर दिए गए हैं। वे तालाब जिसमें कम के कम दो पुर्से तक पानी है जिसमें आदमी डूब जायेंगे, वह बांट दिया गया। मान्यवर, अच्छी जितनी भी जमीन है, वह प्रधानों के कब्जे में है। मैंने माननीय स्वामी प्रसाद सिंह को लिखकर भी दिया है, इस बारे में। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। एक गांव नारायनधारी है, वहां के प्रधान ने उन हरिजनों को कब्जा दे दिया है जिनके नाम भूमि एलाट कर दी गयी है। लेकिन मान्यवर, डी0 एम0 ने उसको सस्पेन्ड कर दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परगना सिद्धौर के लोग मेरे पास मिलने के लिए आए। सराय नजीर एक गांव है। वहां की भूमि वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें हैं कुछ लोगों की, लेकिन वहां और सभी लोग सन्तुष्ट हैं। कुछ लोगों की शिकायतों पर ही परगनाधिकारी ने उसको सस्पेन्ड कर दिया है। मान्यवर, सभी लोग सन्तुष्ट हैं फिर भी 2-4 लोगों की शिकायतों पर उसको सस्पेन्ड कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें क्यों की जाती हैं? जहां पर सही काम किया जाता है इसको करने नहीं दिया जाता है और जहां पर गलत काम होता है, उसको मना नहीं किया जाता है। यह चीजें क्यों होती हैं, मैं बताता हूं कि यह चीजें क्यों हो रही हैं ? यह सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि आप नौकरशाही पर निर्भर करते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रजों के जमाने से आज तक इस वर्ग पर कोई असर नहीं पड़ा है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जब शपथ ली थी तो उस समय उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हम इस बात का सर्वेक्षण करायेंगे कि क्या वाकई में सारे लोगों को कब्जा मिल गया है। मैं चाहूंगा कि क्या वाकई इस पर ध्यान दिया गया है? आप उस वक्तव्य के मुताबिक कोई ऐसी मशीनरी फिट कीजिए जो इस बात की जांच करे। 3 महीने हो गए हैं लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं, उनको दूर किये बगैर यह काम हो नहीं सकते हैं।

मान्यवर, आप यह जानते हैं कि उन पर कितनी जिम्मेदारियां बढ़ा दी गयी हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में वह असमर्थ हैं। कलेक्शन का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। चाहे विद्युत विभाग का हो और चाहे अन्य किसी विभाग का कलेक्शन का काम हो, यह सब काम रेवेन्यू विभाग वाले कर्मचारियों को ही करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बाराबंकी जिला बहुत ही नजदीक है और मन्त्री लोग यहां जब पहुंच जाते हैं उनके स्वागत में पूरी तहसील के कर्मचारी लग जाते हैं। इस तरह से काम बहुत सफर करता है और सारी रिकवरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को करनी होती है। यह सब उसी के द्वारा होती है। आपने स्टाफ बढ़ाया नहीं और पूरे विभाग का काम उन गरीबों पर छोड़ दिया। अगर एक आदमी के 10-10 हाथ और 20 20 पैर हों तो काम हो सकता है। इसके अलावा जमींदारी एबालिशन और आज के समय मुकदमों में कितना अन्तर है। पहले केवल जमींदार लोग ही मुकदमें लड़ते थे और बहुत थोड़ी तादाद में ही काश्तकार मिलते थे। अब आप देखें पट्टे देने, उनको निरस्त करने, भूमि आबंटन करने और अन्य सारे किस्म के काम उनको सुपुर्द है। नतीजा होता है कि केसेज आज उनके वहां पर ज्यों के त्यों पड़े रह जाते हैं और एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, या रजिस्ट्रार तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के सामने फाइल्स रख देते हैं। आप उनका स्टाफ बढ़ायेंगें नहीं, काम पूरा करवायेंगे, तो कैसे काम चलेगा ? आज जितने भी और काम है जैसे अल्प बचत योजना, फैमिली प्लानिंग, लेवी, वे सब आप इस रेवेन्यू विभाग से करवाते हैं। तो इस विभाग को अगर रेवेन्यू विभाग के स्थान पर मिस्लेनियस विभाग कहा जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि सारा काम आपने इनके जिम्मे कर रखा है। जो हमारा पुराना स्टाफ है, उसकी कार्य क्षमता लिमिटेड है। हमें इस रेवेन्यू विभाग के बुनियादी तरीके को बदलना चाहिए। आज से 20-22 वर्ष पहले हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री जी सन् 1954-55 में इस बात को महसूस करते थे और रेवेन्यू विभाग के सम्बन्ध में हुई अपनी बहस में कहा था जिसका उद्धरण मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था "उनका यह दावा मालूम होता है कि पटवारियों का नाम बदल कर एक बड़ी सेवा इस देश व प्रान्त

[श्री रामचन्द्र बक्श सिंह]
की हुई है लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या राजा का नाम राज प्रमुख रखकर या किसी नौकर का नाम बदल करके व्यवस्था बदली जा सकती है? मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला कलेक्टर, जिला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो गांधी जी के शब्दों में अंग्रेजी राज्य की सबसे बड़ी देन थे, के अधिकारों को बदलने की कोई चेष्टा माननीय मन्त्री जी द्वारा हुई है।"

सदस्य, विधान सभा, श्री खूब चन्द के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में एटा जिले के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेम्बरों को बहुत क्षोभ है, आपने जो आश्वासन दिया उसके बावजूद भी अधिकांश सदस्य लाबी में बैठे हुए हैं और वे सदन में नहीं आ रहे हैं। हमारे माननीय भीखालाल जी भी लाबी में हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पर हमारे माननीय मन्त्री जी को आश्वासन देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आश्वासन ही नहीं, कार्यवाही की है।

श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

जब अराजक तत्वों को मीसा और डी0 आई0 आर0 में बन्द किया जाता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध मीसा और डी0, आई0 आर0 में क्यों नहीं कार्यवाही की जाती है?

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, प्रीविलेज कमेटी में कोई चीज तब भेजी जाती है जब प्राइमाफेसी न हो। यह मामले आपके सामने मौजूद हैं। इनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। माननीय सदस्य की बात को हम झूठ नहीं मान सकते हैं। इसलिए यह केस सीधे हाउस के सामने आता है और कोर्ट में कन्वर्ट करके ब्युरोक्रेसी ने तमाशा किया है। मेरी प्रार्थना है कि आप उनको वारन्ट भेजकर यहां पर बुलाइए और कटघरें में पेश कीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा एक-एक सदस्य को पीट कर गिरा सकते हैं और कोई पुरसां हाल नहीं होने वाला है, इसमें देर करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं उसके खिलाफ ऐक्शन लेने के लिए।

श्री अध्यक्ष—

इस पर दो रायें नहीं हैं। आप अगर सदन को न्यायालय के रूप में परिवर्तित करगे तो उसमें विलम्ब होगा क्योंकि फिर जो अभी माननीया डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने आपकी अनुपस्थिति में एलान किया है वह यह है कि उनको अविलम्ब अभी सस्पेन्ड कर दिया। एस0 पो0 को भी उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती पायी जाएगी तो उस के खिलाफ भी वह कठोर कार्यवाही करेंगी। (व्यवधान शोर) जितनी बातें आप कह रहे हैं इसीलिए मैंने कहा कि यह सामान्य से अधिक गम्भीर है। मैंने खुद कहा कि उसको निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि कोर्ट जब होता है तब वह मुल्जिम को सुनेगा (व्यवधान) एक-एक करके सदस्य बोलें। माननीय भीखा लाल। (शोर) यह तो आपको अविश्वास है। जब स्पीकर को विश्वास हो गया, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट लगा हुआ है, वह सब हमने देख लिया.....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मैं यह कह रहा हूं कि मीसा की बात जब है तो इससे बड़ा और कौन सा कांड होगा कि मीसा का प्रयोग किया जाय?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

वहां के पुलिस अधिकारी अपनी मोटर चलाते हैं। उनका वह कोई टैक्स नहीं देते हैं। इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए।

(व्यवधान कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष—

एक-एक कर के बोलें। अगर एक बारगी सब बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। अभी मैंने माननीय श्री भीखा लाल जी को कहा था कि वह अपनी बात कहेंगे। कुंवर श्रीपाल सिंह ने अपनी बात आपके समक्ष रखी।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, जैसा आपने स्वयं कहा यह बहुत ही अद्वितीय घटना है और माननीय सदस्य आपके सामने आए, आपने उनकी चोटें देखीं। अगर इसमें आप कोई सख्त ऐक्शन नहीं लेंगे तो हमारे माननीय सदस्यों के दिल में इस वक्त जो क्षोभ और गुस्सा है, वह शान्त नहीं होगा। फिर उनके हितों की और शरीर की किस तरह से रक्षा होगी। केवल उसको सस्पेन्ड कर देना ही काफी नहीं है। माननीय श्रीपाल सिंह जी ने एक प्रोसीजर बताया। वह सही है, उसको बुलाया जाय हाउस के सामने और बुलाकर सजा दी जाय। खाली एस0 ओ0 ही नहीं, उसमें एस0 पी0 भी जिम्मेदार है और उस इलाके के डी0 आई0 जी0, जिनके इशारे पर हरिजनों और गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, यह बहुत असहनीय है। अगर आप इसमें कोई सख्त कदम नहीं उठायेंगे तो माननीय सदस्यों का गुस्सा और क्षोभ शान्त नहीं होगा।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के सदस्यों की जो भावना है, उससे पूरी तरह से सरकार से अपने को सम्बद्ध करते हुए और आपकी भावनाओं का भी आदर करते हुए मैंने इस मामले को बहुत ही गम्भीरता पूर्वक लिया है। माननीय भीखालाल जी ने जो कहा, यह तो यहां की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार आप करेंगे, लेकिन शासन ने तुरन्त कार्यवाही की है कि एस0 ओ0 तथा उससे सम्बन्धित अन्य लोगों को जो वहां पोस्ट हैं, सस्पेन्ड कर दिया। इसके आदेश तुरन्त दे दिए गए हैं। जितनी गम्भीरता से माननीय सदस्य इसको ले रहे हैं, मैं भी उसी तरह ले रही हूं। मैं भी उतनी ही एजीटेट हूं जितने माननीय सदस्य हैं। सदन की भावना को देखते हुये, हम यह भी आदेश दिलवा रहे हैं कि एस0 पी0 का तुरन्त तबादला करके इन्क्वायरी की जाय। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहती हूं कि वे संयम से काम लें। शासन ने वर्तमान परिस्थिति में इस वक्त जो भी सम्भव था और किया जा सकता था, वह उसने किया। उसके बाद सदन का जो भी आदेश होगा, वह किया जाएगा, लेकिन अब सदन की कार्यवाही चलने दी जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीया मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया उसका यह सदन आदर करता है, लेकिन मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूं। चूंकि माननीय सदस्य की पिटाई की गयी है, इसलिए उस थानेदार व अन्य लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखा कर मुकदमा दर्ज किया जाय।

श्री गंगा प्रसाद लोधी (जिला एटा)—

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और मेरे जिले का मामला है। जिन माननीय सदस्य को पीटा गया है, वे बहुत ही सीधे आदमी हैं और बिलकुल गऊ है। उनके साथ जो बरबरता पूर्ण व्यवहार पुलिस ने किया उससे सारी वहां की जनता दुखी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगा प्रसाद लोधी]
उनको थाने में ले जाकर इतना तक कहा गया कि मुंह में पेशाब कर दो। एस0 पी0 के पास जब गए तो उसने कहा मैं जांच करूंगा। फिर जिलाधीश के पास गए तब उन्होंने एस0 पी0 को बुलाकर कहा कि एक विधायक के साथ घटना घटी है, मौके पर जाकर जांच करें फिर भी एस0 पी0 ने कुछ नहीं किया। (व्यवधान) अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आपको भ्रम है। आज तक किसी स्पीकर ने ऐसे मामलों में वह कार्यवाही नहीं की जो मैंने इस समय की है। आपने कुछ नियम बनाए हैं। आपकी सरकार है। जो अधिक के अधिक हो सकता था, वह इस समय किया गया। मेरे पास जैसे ही यह आया, मैंने तुरन्त इसको देखा और देखने के बाद मैंने यह जरूरी समझा। माननीय सदस्य ने जो कुछ इसमें लिखा है, उनके बचन को और एक-एक शब्द को सही मान कर ही मैंने यह आब्जर्व किया कि ऐसा अधिकार था। थानेदार एक मिनट भी रहने लायक नहीं है, उसको निकाल देना चाहिए। उससे ज्यादा क्या कोई स्पीकर कहेगा। और फिर शासन ने तत्काल कार्यवाही की। मैं डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने आपकी और हमारी गरिमा को देखते हुए यह कार्यवाही की। (व्यवधान)

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

25 तारीख की जो घटना घटी, उस सम्बन्ध में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो अलग प्रश्न है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय मैं इस सदन का सदस्य था और मुझे अच्छी तरह के याद है कि श्री मदन मोहन वर्मा स्पीकर थे तो उन्होंने हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ वारन्ट निकाल दिया था, तो फिर क्या आप एक मामूली व्यक्ति के खिलाफ, एक मामूली दरोगा के खिलाफ वारन्ट नहीं निकाल सकते और उसको पकड़ कर अपने सामने कटघरें में खड़ा करा कर उससे बात नहीं पूछ सकते और उसे जेल नहीं भेज सकते ? क्या यह हमारे अधिकार में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी को इसमें शक हो सकता है, हमें नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं और अपने अधिकारों को अक्षुण्य बनाने के लिए और इस प्रदेश का जो शासन है, उसके प्रबन्ध के लिए लोकमत ने आपको यहां भेज कर शासक के रूप में सम्मानित किया है। इस प्रसंग और पहलू को नजर में रखते हुए ही मैंने माननीय सदस्य की हर बात को सच मान कर गम्भीरतम कार्यवाही की है। मान लीजिये मैं कह देता कि यह विशेषाधिकार समिति का प्रश्न है, तो मामला वहां खतम हो जाता। इसलिए मैंने यह उचित समझा कि बहुत से माननीय सदस्यों के प्रति पुलिस का जो व्यवहार हो रहा है, अधिकारियों का व्यवहार हो रहा है और जिसकी शिकायत मुझे यहां बार-बार मिली है, बाहर भी और यहां भी कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है, तो मैंने जो अधिकतम गम्भीरता इस मामले में अख्तियार की जानी चाहिए, उसके द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। अब जैसा कि माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने कहा है कि उसे यहां बुलाया जाय और उस पर सदन के सामने कार्यवाही की जाए, तब तो मामला टल जाएगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

इस पर वक्तव्य हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

संविधान के अनुसार आप सर्वसत्ता सम्पन्न हैं, इसमें दो रायें नहीं हैं, लेकिन जो कार्यवाही हो सकती है, वह तो जो यहां का उत्तरदायी दल है, शासक वर्ग है, उसके जरिए ही तो सब मामला होगा। हमारी इच्छाओं और निर्णयों का कार्यान्वियन तो शासन ही करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कुछ डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी ने कहा उससे आपको सन्तोष होगा। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं, तो कहें।

(व्यवधान)

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

माान्यवर, 25 तारीख की जो घटना हुई, उसकी सूचना डी0 एम0 और एस0 पी0 ने नहीं दी और न उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की। इसलिए मेरा कहना है कि डी0 एम0 और एस0 पी0 के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह था कि जो भी कार्यवाही की गयी है। जहां तक पुलिस वालों को सजा देने का सवाल है मैं बधाई देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपको और श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी को। मान्यवर, इस बात से झगड़े की शुरूआत हुयी कि एक पुलिस मैन अपनी गाड़ी चला रहा था गैर कानूनी ढंग से जिसके बारे में मैं माननीय परिवहन मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उस रोड पर गैर कानूनी ढंग से गाड़ी चल रही हैं तो उसकी रोक-थाम के लिए मन्त्री जी क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—]

परिवहन मन्त्री जी हैं नहीं। मैं समझता हूं कि जो कार्यवाही की गयी है; उससे आप लोग सन्तुष्ट होंगे। अब आगे चलें।

(हां और नहीं की सम्मिलित आवाजें) (व्यापक शोर)

श्री अध्यक्ष—

अधिकांश तो सन्तुष्ट हैं।

श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

मान्यवर, एस0 पी0 को सस्पेन्ड किया जाय नहीं तो कोई सदस्य सन्तुष्ट नहीं होगा।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से माननीय सदस्य को निर्ममता से पीटा जायगा तो लोकतन्त्र खत्म हो जायगा। लोकतन्त्र को बचाने के लिए और जनता के हितों की रक्षा के लिए एस0 पी0 को सस्पेन्ड किया जाय।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें और व्यापक शोर)

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

आप क्या प्रस्ताव करते हैं.....

श्री राम औतार सिंह भदौरिया—

मैं, मान्यवर, सदन में प्रस्ताव करता हूं कि सदन एस0 पी0 को शीघ्र सस्पेन्ड करने का प्रस्ताव पारित करे। (शोर)

श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, अत्यंत कड़ा ऐक्शन उसके खिलाफ लेना चाहिये, क्योंकि एक विधायक को मारा गया है। ऐसे लोगों को मीसा में बन्द करना जरूरी है। एक नेता को तो साधारण से मामले में बन्द कर दिया जाता है, लेकिन जिसने ऐसा किया है, उसको सस्पेन्ड करके मीसा में बन्द करना चाहिए। (व्यापक शोर।)

एक सदस्य—

मान्यवर, जहां पर एक विधायक को पीटा जाय ऐसे मुख्य मन्त्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मान्यवर, ऐसा लगता है कि लोक तन्त्र खत्म हो गया है।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा अनुरोध करना चाहती हूं कि आपने जिस प्रकार से संकेत किया, सदन की जो भावनायें थीं। वर्तमान परिस्थिति में सरकार की तरफ से जो तुरन्त आदेश दिया जा सकता था उसको तुरन्त किया गया। बाकी जो सदन के सामने बुलाने और अन्य जो चीजें हैं जैसी प्रक्रिया नियमावली में है वह आप करेंगे ही, इसमें दो रायें किसी की नहीं हैं। सवाल इस बात का आता है कि किसी को मीसा में बन्द करवाना है तो उसके भी नियम और कायदे होते हैं। अभी मैंने जैसा कहा कि एस0 ओ0 को अरेस्ट करके बन्द किया जाय और साथ ही साथ एस0 पी0 का तबादला किया जाय। वर्तमान परिस्थिति में यह 2 चीजें हो सकती थीं और वह की गयीं हैं और इसके बाद जैसी कि जो कार्यवाही है मान्यवर, वह आप करें तो और आपके आदेश के अनुसार शासन करेगा। मान्यवर, अब सदन की कार्यवाही चलायी जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा राम चन्द्र बक्श सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं भी थोड़ा सा बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या बोलेंगे? आपसे ज्यादा यहां सब सचेष्ट हैं। आप वाला भी....

श्री भगवती प्रसाद—

मैं अपने पर नहीं बोलूंगा। सरकार ने जो कदम उठाए हैं वह बहुत ही अच्छे कदम हैं। उसे पूरे सदन को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन मान्यवर, पूरे प्रदेश में यह हाल है। मैं क्या बताऊं मैं एक कमजोर सदस्य हूं और अकेला हूं। सत्ता पक्ष की बात है। मान्यवर, क्या दुर्व्यवहार पूरे प्रदेश की पुलिस कर रही है। हर जिले में एस0 पी0 या थानेदार जो गलती करता है, दुर्व्यवहार करता है उससे सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारी जरूर होते हैं। मान्यवर, जैसा कि कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने कहा है वह उचित है। (निरन्तर शोर जारी रहा) मान्यवर, यह बात इसलिए उचित है कि सदन में अगर वह एस0 पी0 या थानेदार बुलाया जाता है तो उसका असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। शासन ने जो कदम उठाया है, उससे पूरे प्रदेश में प्रभाव पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग अधीर न हों। इस सदन की महिमा और गरिमा के आगे यदि बड़े से बड़ा अधिकारी भी आएगा और जो प्रदेश की जनता के कोष से पोषित और पालित है उसके लिए, उसको अधिकार के अन्दर रखा जाएगा और उस सम्बन्ध में जो कार्यवाही होगी, वह की जाएगी। जो और प्रश्न और इच्छायें हैं वह तो हो सकती हैं। (क्रोध में) और सचमुच छोभ है तो वह सब बातें अपनी जगह पर हैं। आपके प्रश्न को जब हमने उठा दिया तो इससे कुछ सत्र करें। यदि कलेक्टर या अधिकारी अपनी कार्यवाही में निष्क्रिय पाए जायेंगे तो उनको बख्श ने के लिए नहीं बैठे हैं। शासन शान्ति व्यवस्था के लिए है।

*श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, यदि सदन में यह बात न उठी होती तो कोई कार्यवाही न होती। यह दुर्भाग्य की बात है कि एक विधायक को पीटा गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। इस प्रदेश में जनता के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है इससे अच्छा उदाहरण मैं समझता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि नहीं मिल सकता है। इसलिए निवेदन है कि चाहे जिला मैजिस्ट्रेट हों या चाहे एस0 पी0 हों, जिन लोगों ने जानबूझ कर और सूचना मिलने के बाद कोई ऐक्शन नहीं लिया उन पर भी वही कार्यवाही होनी चाहिए, जो दोषी व्यक्ति पर हुई है।

श्री राम बाबू मिश्र (जिला मथुरा)—

मान्यवर, यदि एस0 पी0 को सस्पेन्ड नहीं करेंगे तो मैं सदन का वाक आउट करता हूं।

(माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्री ख्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, वहां के एस0 पी0 को सस्पेन्ड कर दिया जाय, क्योंकि वह दोषी हैं। यदि इस सदन की भावना को आप स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं भी वाक आउट करता हूं।

(माननीय सदस्य सदन के बाहर नहीं गए।)

कुंवर श्रीपाल सिंह—

श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के नियम 67 में स्पष्ट लिखा है कि यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किए ही सदन में निस्तारित किया जा सकता है....

श्री अध्यक्ष—

इसी के मुताबिक मैं कार्यवाही कर रहा हूं।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

श्रीमन्, मेरी सुन लें।

तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाय। इसलिए तत्काल आप विचार कर सकते हैं। प्रस्ताव करके जो कि नियम 67 में है। इसके अधीन मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करके इन दोषी अधिकारियों को यहां बुलाएं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने जो पढ़ा तो कुछ ऐसे नियमित कार्य होते हैं जो सदन के सम्मुख होते हैं, हमारे आपके सम्मुख होते हैं। उनके बारे में हमारी प्रक्रिया दूसरी है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको विशेषाधिकार समिति को भेज देते हैं और वहां जांच-पड़ताल होती है। लेकिन यह बात गम्भीर थी इसलिए विशेषाधिकार समिति में एक वादी हो जाते और एक प्रतिवादी के रूप में होते और उस पर गवाही होती, सिद्ध करते तो अन्यथा या पक्ष में तो कुछ भी होता। मैंने इस मामले को अलग समझते हुए एक दूसरी कार्यवाही की। आप इसकी गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए कि आप ऐलान करें कि वह बुलाए जाएं तो फिर जो ऐलान हुआ है, यह खत्म हो जाता है। आखिर आप हम बैठे हैं तो आपके द्वारा बनाए गए नियमों और जो संविधान है उसी के अधीन बैठे हैं। जो कोई भी इस देश के संविधान की लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करेगा वह दोषी होगा और उसकी बात को मानने के लिए कोई बाधा नहीं होगी। आपकी भावना को शासन भी समझता है। शासन भी तो आपके बल पर ही है। यह जो आप कह रहे हैं यह अलग कहना चाहिए।

(व्यवधान)

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

एक बात सुन लें तो यह साफ हो जायेगा। बाहर सभी सदस्य लाबी में इकट्ठा हुए थे। वहां यह राय थी कि दो तरह का जुर्म किया गया है। एक तरफ तो दरोगा और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

उसके साथ के सिपाही ने मौके पर जाकर विधायक को मारा पीटा और थाने पर ले गई। एक तरह का वह जुर्म है। इसके लिए मुकदमा करके जो भी करें। दूसरा यह कि अगर कोई अधिकारी डेरिलिक्शन आफ ड्यूटी का दोषी पाया जायगा तो कार्यवाही होगी। लेकिन जब आपने अगर लगा दिया तो 'अगर' का प्रश्न नहीं है। 25 तारीख को जो विधायक मारा गया वह और दूसरे विधायक एस0 पी0 से मिलने गए। एस0 पी0 ने कहा कि देखूंगा। पांच दिन हो गए और कोई कार्यवाही नहीं की। न ही सदन को सूचना दी और न सरकार को। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह हमेशा के लिए मन्त्री नहीं बन गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर एस0 पी0 को सस्पेन्ड कर देते हैं तो सारी पुलिस फोर्स जान जायगी कि अगर किसी विधायक के साथ ऐसा किया जायगा तो यह हस्र होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

खूब चन्द जी और उनके साथ बदायूं के पांच-सात विधायक मेरे कमरें में आए। मैंने लिखकर प्रिविलेज का सवाल दिया। तीन प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है कि एक सिपाही के लड़के की प्रतिष्ठा ज्यादा है कानून के सामने या एक विधायक के लड़के की प्रतिष्ठा या दोनों की प्रतिष्ठा कानून के सामने बराबर है। दूसरा प्रश्न यह इन्वाल्व है कि 25 तारीख को विधान सभा के सदस्य की हैसियत से वहां मौजूद थे और हमें वोट देने का अधिकार है। तीसरा प्रश्न यह है कि 26 तारीख को यहां आना था क्योंकि माननीय लोकपति त्रिपाठी ने एक कमेटी बुलाई थी, लेकिन उनको इतनी मार लगी .....

श्री अध्यक्ष—

यह सब कहने का क्या तात्पर्य है?

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह सीधा सवाल प्रिविलेज का बनता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं वही कर सकता हूं। प्रिविलेज कमेटी को ....

(व्यवधान)

मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि यह साधारण विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। इस सदन के एक माननीय सदस्य पर इन्सल्ट हो, उसको अपने कर्तव्य के रास्ते में विधान सभा के चलते यह भी हो सकता था कि उसको जान से मार दिया गया होता। इसको इतना गम्भीर समझ कर ही मैंने इसको विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में नहीं लिया। आप इस पर गौर करें।

(व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफ तो फौरी कार्यवाही होगी और माननीय सदस्य इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजना चाहते हैं .....

(नहीं-नहीं की आवाजें)

अगर आप इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजना चाहते हैं तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। शासन की तरफ से जो तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए, वह हमने कर दी है।

श्री अध्यक्ष—

अगर यहां उसको पकड़ कर बुलाये बगैर नोटिस दिए तो उसको नहीं बुलाया जा सकता है। उसको सजा भी अगर आप देंगे तो जब तक आप बैठे हैं यह उसी समय तक के लिए होगी। मैं आपके अधिकार की सुरक्षा की दृष्टि से ही कह रहा हूं कि आप करेंगे, क्या? यह घटना सदन के समक्ष नहीं हुई है। अगर हुई होती तो अवश्य ही आप उसको सजा दे सकते थे। नियमानुसार ही हमको काम करना है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आपका जो निर्णय है, वह तो शिरोधार्य है, लेकिन एस0पी0 को निलम्बित करने के लिए शासन सक्षम है।

श्री अध्यक्ष—

जो दल के सदस्य हैं और अगर उनको क्षोभ है तो अपने दल में जो चाहें, वह कर सकते हैं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह सारे सदन की राय है कि अगर आप यह चाहते हैं कि माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा हो और अगर आप इस नृशंस पुलिस पर कुछ नियन्त्रण करना चाहते हैं तो आपको एस0पी0 को तुरन्त सस्पेन्ड कर देना चाहिए।

(सदस्यों ने मेजें थपथपायीं)

इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना की सरकार के पास कोई भी सूचना नहीं है, यह दुर्भाग्य की बात है। राजेन्द्र कुमारी जी ने हमारी भावनाओं को एप्रीसिएट किया लेकिन आज पूरे प्रदेश की जनता के साथ जो कुछ हो रहा है। जब इस सदन के माननीय सदस्य पर यह हो सकता है तो साधारण जनता पर क्या कुछ होता होगा। इस प्रदेश की पुलिस पर आप नियन्त्रण करें। ऐसी स्थिति में आप घोषित कर दें कि आप उस एस0पी0 को सस्पेन्ड करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आगे चलते हैं और इस सम्बन्ध में आगे जो कार्यवाही करनी है तो आप लोग अपने दल के अन्दर बात कर सकते हैं। (व्यवधान) सरकार चलती है तो जन इच्छा के बल पर ही चलती है, यह आप सभी जानते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

दल का प्रश्न नहीं है। एक दो दिन में अगर सरकार कोई ऐलान करने को राजी हो तो सदन को सन्तोष हो जायगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अगर सदन को नहीं चलाना चाहते हैं तो बतलायें। जो संविधान है, हमारी मान्यतायें हैं, दन्ड प्रक्रिया है, उनका अतिक्रमण करके हम सदन नहीं चलाना चाहते। अब लक्ष्मण रेखा आप पार न करें। (व्यवधान) इस तरह से मैं इजाजत नहीं दे सकता। एक सीमा होती है जिस सीमा तक मैं जा सकता हूं। जिन्होंने अपराध किया था, उनके बारे में कार्यवाही की गयी और जिन्होंने उस सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। (शोरगुल) इस तरह से नहीं होगा।

श्री प्यारे लाल—

आप पुलिस से डरते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, गाजियाबाद मुझे जानते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

छोटी बात की नोटिस नहीं ली जाती।

श्री अध्यक्ष—

एस0पी0 को निकालना है तो प्रक्रिया पूरी करनी होगी वर्ना हाई कोर्ट से वह बच जायगा (शोरगुल) इस तरह से मैं इजाजत नहीं दे सकता। आपको अपने में विश्वास होना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]
चाहिए। कोई भी सरकार इस तरह से यहां कितने दिन तक रहेगी, जब आप उसका विरोध करेंगे। माननीय सदस्य, गाजियाबाद को अपने में ही संशय है, अपनी शक्ति के प्रति शंका है।

*श्री राम समुझ तिवारी (जिला बस्ती)--

[आप बराबर समझा रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। आप एस0 पी0 को मुअत्तल करा दीजिए तो समझ जायेंगे। हाई कोर्ट का अथवा फलां कानून का डर मत दिखाइए। मेम्बर मारा गया, जांघ खोल कर दिखा रहा है और आप विद्वान होते हुए, प्रोफेसर होते हुए समझा रहे हैं। हरिजन मारा गया है जिसके लिए रोज कानून बनता है। यह हरिजन कब तक मारा जाएगा? ठाकुर, ब्राहमण मारा गया होता तो कोई बात नहीं थी। मैं होता तो दरोगा को वहीं मारता, रोने नहीं पाता। आप पहले एस0 पी0 को मुअत्तल कीजिए, कानून और नियम अपनी जगह पर हैं वर्ना कल एस0 पी0 आपको मारेगा, आपके अध्यक्ष रहते हुए, क्योंकि पुलिस आज निरंकुश हो गयी है। वह जनता को लूट रही है, डांके डाल रही है, चोरी कर रही है। इसलिए एस0 पी0 को पहले मुअत्तल करा दीजिए।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, सदन की भावनाओं को समझकर ही सरकार की तरफ से कार्यवाही की गई और उसके बाद अब यह तीसरी चीज हमारे सामने आयी। प्रारम्भ में दो बातें कही गई थीं। लाबी में जब मैं गई थी तो कहा गया था कि दरोगा को सस्पेन्ड कर दिया जाय और अरेस्ट कर दिया जाय तथा एस0 पी0 का तबादला कर दिया जाय। वह दोनों बातें मान ली गईं। उसके बाद यहां आने के बाद अब यह तीसरी चीज आरम्भ हुई तो माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए समय की आवश्यकता होगी और दो-चार घंटे में जिले से पूरी जानकारी करने के बाद ही कोई ऐक्शन लिया जा सकता है .....(व्यवधान)। मैं फिर माननीय सदस्यों से अपील करूंगी कि वे कृपया शान्ति से बैठें और सदन की कार्यवाही चलने दें .....(व्यवधान) मैं कांग्रेस दल के सदस्यों से अपील करूंगी कि वे शान्ति से बैठें।

(बहुत से माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामचन्द्र बक्श सिंह .....,आप खत्म कर चुके ? (व्यवधान) माननीय जफर आजमी अपना संशोधन रखेंगे।

(सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, भारत सरकार के गृह मन्त्री ने यह स्पष्ट आदेश दिए हैं कि पुलिस अत्याचार नहीं करेगी। प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है। इसलिए तुरन्त एस0 पी0 को सस्पेन्ड कर दिया जाय।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि उसमें यह भी कर दिया गया है कि फौरन ही एक कमिश्नर यहां से एटा प्रोसीड कर रहे हैं और उनके साथ एक सी0आई0डी0 के बड़े अफसर भेजे जा रहे हैं जो कि पूरी घटना की जांच करेंगे.....(व्यवधान)

एक सदस्य--

पहले मुअत्तल करने की घोषणा कर दीजिए।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय मन्त्री जी ने जो आपके सामने कहा था कि 3-4 घन्टे के अन्दर जांच होगी और उस पर कोई न कोई कार्यवाही होगी .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें। जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा कि दो-चार घंटे .....(व्यवधान)। अगर इस पर भी आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो अब मैं आधे घन्टे के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(1 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(2 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने अपने कक्ष से मार्शल के द्वारा सदन की कार्यवाही 4 बजे अपराह्न तक और स्थगित रहने की सूचना कराई।)

(4 बजे सदन की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहती हूं कि हमें इस बात का काफी अफसोस है कि सदन में व्यवधान हुआ और माननीय सदस्यों की जो भावनायें थीं, उनकी भावनाओं को जानने के लिए सदन भी स्थगित करना पड़ा। इस बीच के अवसर का लाभ उठाकर कांग्रेस दल की हमने मीटिंग भी की और अन्य दल के भी जो अन्य माननीय सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत की, उसके बाद सबकी भावनाओं की रक्षा करते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि एटा के एस0 पी0 को मुअत्तल कर दिया जाए।

(जोरदार ढंग से मेजे थपथपाई गईं।)

अब आपसे निवेदन है कि आप आगे की कार्यवाही शुरू करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले हम लोग जरा उन्हें बधाई देना चाहते हैं।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष जी, जो डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी ने निर्णय लिया, सदन और माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए यह बहुत ही अच्छा निर्णय है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। इसमें सरकार और सदन की गरिमा बढ़ेगी और प्रशासन को जनता की रक्षा करने में बड़ी मदद मिलेगी।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी को इस सद् निर्णय के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि हमेशा इसी प्रकार से हम लोगों की भावनाओं की इज्जत की जाएगी।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

(अन्य लोगों के बधाई देने हेतु खड़े होने पर) क्या इसी प्रकार से घटनायें होती रहेंगी।

श्री भगवती प्रसाद—

मैं भी उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने हम लोगों की भावनाओं का आदर किया है। इससे पूरे प्रदेश की जनता की सुरक्षा होगी और यह इतना अच्छा कदम है, जो मैंने दो साल के अन्दर नहीं देखा है इतना आज तक इस सरकार ने कभी अच्छा कदम नहीं उठाया था। इसके लिए माननीया मन्त्री जी बधाई की पात्र हैं और इस निर्णय से पूरे प्रदेश की जनता पर अच्छा असर पड़ेगा और इस समय जो पूरे तौर पर पुलिस विभाग जनता को तबाह कर रहा है, उससे प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी।

1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 7—भू—राजस्व, अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी, अनुदान संख्या 33—दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर (क्रमागत)

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मैं रेवेन्यू मिनिस्टर का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा जो मैंने कहा है कि डी0 एम0 और कलेक्टर के अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक बार 53-54 के समय में नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा था कि अंग्रेजी राज्य की सबसे बड़ी देन यह डी0 एम0 और कलेक्टर्स के अधिकार हैं। उसी ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए मैं ज्यादा न कहकर बुनियादी बात कहना चाहता हूं कि इस रेवेन्यू विभाग का पूरा स्ट्रकचर वह सन् 1953-54 में जो हम महसूस करते थे, उसके अनुसार बदलना चाहिए। यह परिवर्तन परम आवश्यक है। मुझे खुशी है कि उस पर माननीय माल मन्त्री जी बहुत कुछ कर रहे हैं।

लैण्ड एक्वीजीशन के बारे में किसानों को बड़ी दिक्कत है। उनकी जमीन ले ली जाती है और उनको मुआवजा सालों साल बाद बहुत कम दिया जाता है। आप इसके ऊपर थोड़ा सोचें।

अब दैवी आपदाओं के बारें में कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप ऐसी दशा में दो सौ रुपया तक मैक्सिमम सहायता दे सकते हैं, जैसा आपने अभी कहा भी है। किन्तु दो सौ रुपये में आज किसी परिवार का कुछ भला नहीं होने वाला है। इसको आप अवश्य बढ़ाने की कृपा करें और कम से कम हजार रुपया तक आ जाएं। क्योंकि यह पुरानी सीमा तय की हुई है और तब से महंगाई बहुत बढ़ गई है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सब लोग इसका समर्थन करेंगे।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जो एक रुपया की कटौती का प्रस्ताव हैं, उस पर आलोचना करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा ?

श्री जफर आजमी—

रखा है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं तो, कहां पढ़ा आपने ?

श्री जफर आजमी—

पढ़े देता हूं।

"मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रेस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं कि माननीय सदस्य ने जो अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं और यह सही है कि जो वह त्रुटियां बतायी हैं, वह त्रुटियां हैं और जहां कहीं पर कोई अधिकारी, कहीं अनियमितताएं कर रहा है, तो उस पर सख्त नजर रखी जायगी। मैं उसका भी आभारी हूं कि दूसरे माननीय सदस्य ने अपना कटौती का प्रस्ताव वापस भी लिया है।

श्री अध्यक्ष—

वापस नहीं लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के आश्वासन को देखकर मैं कटौती के प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री जफर आजामी--

मान्यवर, मैं भी प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7, 10, 39 एवं 75 के सम्बन्ध में प्रस्तुत कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की स्वीकृति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से श्री रामचन्द्र बक्श सिंह एवं श्री जफर आजमी के कटौती के प्रस्ताव वापस हुए ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,46,52,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,07,54,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39--दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,81,70,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75-जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धराशि के अतिरिक्त 41,25,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने गाजीउद्दीन हैदर कैनाल, लखनऊ के निवासियों के सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराने की नोटिस दिए जाने से उत्पन्न संकट के विषय में दिया है। यह तो स्थानीय है और इसको यहां उठा सकती हैं, बजट में ।

दूसरा श्री माता प्रसाद का आयुर्वेदिक कालेज के बी० ए० एम० एस० तथा यूनानी तिविया कालेज के एफ० एम० बी० एस० के छात्रों को इन्डियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा डिग्री देने की मान्यता शासन द्वारा वापस ले लिये जाने से उत्पन्न संकट के विषय में दिया है। इसको केवल वक्त य के लिये स्वीकार कर लिया है ।

तीसरा श्री मोहम्मद शकील अहमद का लखनऊ के वाटर वर्क्स से सप्लाई किए जाने वाले पानी में सफाई के अभाव के सम्बन्ध में तथा श्री काशीनाथ मिश्र ने थाना कादर चौक, जिला बदायूं के कांस्टेबुल श्री चन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध शिकायत एवं वहां के पुलिस कर्मचारियों द्वारा तथाकथित ग्रामीणों पर बर्बर, दानवी पशुवत एवं जंगली जोर जुल्म से उत्पन्न संकट तथा श्री रामचन्द्र बक्श सिंह ने औद्योगिक संस्थान सोमैया आर्गैनिक्स, इन्डिया लिमिटेड बाराबंकी के मजदूरों पर प्रबन्धकों द्वारा तथाकथित दमन चक्र चलाने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में तथा श्री गोरे लाल शाक्य, श्री रमाकान्त द्विवेदी और श्री राम नारायण पाण्डेय ने श्री खूब चन्द्र शाक्य सदस्य, विधान सभा को थाना अमापुर (एटा) के पुलिस अधिकारियों तथा बस कर्मचारियों द्वारा तथाकथित मारा पीटा जाना के सम्बन्ध में दिया है। इन सबको अस्वीकार किया है ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मेरा बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष--

एक ही एक दिन में स्वीकार कर सकते हैं।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
30 अप्रैल, 1976 ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 444 पर]

संलग्नक 1

बहराइच वन प्रभाग के भिन्गा रेंज में माफीदार ग्रामों की सूची जिनको माफी की लकड़ी दी गयी।

1—ककरदरी
2—लक्षमनपुर भगवानपुर
3—कन्दरी देहरिया
4—परसा डेहरिया
5—बहादुरपुर
6—रामपुर जब्दी
7—जानकीनगर
8—रामपुर ककरहा
9—पछिरहवां
10—मरथा बेलभरिया
11—लालपुर महरी
12—उसडाहा
13—शंकरपुर
14—प्रतिक्षियां
15—हेमपुर
16—शाहपुर
17—पिपरहवा
18—परसोहना
19—रवैरी
20—पूरे वाले
21—असनहरिया
22—बदिमभरथा
23—तरसमा
24—नेवदिया बोजीपुर
25—वर्गी
26—गलकरवा
27—रवैर कला
28—पूरे रवैरी
29—तेदवा
30—भिन्गा
31—राजापुर
32—हतलाजोर
33—चकवा
34—टेहली विशुनपुर
35—सीवजीत
36—गांधी
37—गोलपुरवा
38—सम्भरपुरवा
39—वनकटवा
40—सोटकहवां
41—रामपुर देवमान
42—वकवा
43—पूरे प्रसाद
44—मरला
45—लोहनियां
46—अटहवा
47—होमाही
48—वीसनापुर
49—परसाद रवेतहा
50—चपरवा
51—कुवनगर
52—वीरपुर
53—शाहपुरवरगदवा
54—शिवगदा
55—वनकटवा कला
56—गोलरा
57—सटोली
58—पिपरहवा
59—वैलाही
60—जुडपनिया
61—बदलपुर
62—सानपरसा
63—पूरे दर्जी
64—डेरिअहवा
65—सोनपुर
66—रामनगर
67—अन्डवा
68—टिटि हिरया
69—जमुनी कलां
70—धोलिया
71—नन्दनगर मेला
72—चौबेपुरवा
73—दुर्गापुर
74—मरथा कला
75—रानीपुर

76—लालपुरवा
77—बहेलवा
78—झगड़ा
79—लक्ष्मनपुर
80—बैरागीजोत
81—बासकड़ी
82—लरवाहीनीवन
83—पिपरहवा
84—अगयापुरवा
85—विशुनपुर राम
86—भैसाही

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक 2

वर्ष 1972-73 में निम्नलिखित 18 गांवों को माफी की लकड़ी, कोरो, सांटा, बाती दी गयी।

गांव का नाम	लकड़ी (पड़ों की सं0)		कोरो	साटा बाती बोझ	छप्पर बन्दीघास गाड़ी
	20-30	30-40			
1	2	3	4	5	6
1—सिरसिया	419	20	1,749	528	..
2—सोहेलवा	38	11	160	240	..
3—भगवानपुर	137	13	620	224	..
4—कोयलहवा	8	6	20	18	..
5—बालापुर ..	13	11	40	48	..
6—अहलादनगर	12	19	100	36	..
7—जोखेनिया	18	5	200	72	..
8—गव्वापुर	23	4	..	96	..
9—बभनी	106	35	280	1,204	..
10—बिशुनापुर ..	160	61	680	850	..
11—मोतीपुर	47	8	..	426	..
12—बनकटी 13—मचकहव	35	13	..	384	..
14—कटकुइयां	16	25	..	528	..
15—तालबघैड़ा	26	43	..	930	..
16—मदारगढ़ ..	2	22	..	282	..
17—मसहाकलां	9	19	..	420	..
18—बेचुआ ..	2	20	..	354	..
योग ..	1,071	335	3,849	6,740	..

निम्न गांवों को वर्ष 72-73 में माफी की लकड़ी नहीं दी गयी :-

1—विलासपुर
2—बागपुर
3—लालपुर
4—घोघवाकलां
5—पटखोली
6—मेडकिया
7—थनुहा
8—लाहटी कलां

माफीदार गांवों का कुल योग 26 है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 466 पर)

तालिका "अ"

नाम ब्लाक	भूमिहीनों की सं० जिन्हें आवास स्थल हेतु भूमि आवंटित की गयी	आवंटित की गयी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3
1—चितौड़ा	402	13.355
2—विशेषरगंज	749	23.240
3—गिलौला	479 ..	17.193
4—इकौना	459	18.932
5—प्यागपुर	426	14.205
6—सिरसिया	461	13.240
7—हरिहरपुर रानी ..	491	19.285
8—कसरगंज	650	20.270
9—जरवल	499	14.850
10—हजूरपुर	558	16.322
11—मंहसी	654	19.350
12—तजवापुर	538	17.306
13—फकहरपुर	625	19.367
14—बलहा	662	34.000
15—शिपुर	497	26.000
16—रिसिया	879	46.000
17—नवाबगंज	544	28.000
18—जमुनहा	581	30.000
19—मिहीपुरवा	1031	53.000
योग ..	11167	443.915

इसके अतिरिक्त आवास स्थलों पर 1,04,000.00 रु० की लागत से 52 गृहों का निर्माण कराया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 467 पर।)

तालिका 'अ' 1973–74

क्रम-संख्या	अनुदान ग्रहीता का नाम		जाति	ग्राम	भुगतान धनराशि	अवशेष धनराशि	विकास क्षेत्र	भवन निर्माण की स्थिति
1	2		3	4	5	6	7	8
1	सर्वश्री भरोसे	..	पासी	प्रहलादा	10,000	..	गिरौला	कार्यपूर्ण
2	श्यामला	..	,,	मोडारी	1,000	..	,,	,,
3	गयादीन	..	,,	बेड़सरा	1,000	..	..	,,
4	गया प्रसाद	..	,,	पूरप्रसाद	1,000	..	सिखिया	,,
5	राम अधार	..	कोरी	लक्षमनपुर मझगवा	1,000	..	,,	,,
6	झलूसे	..	,,	सेवासंभारी	1,000	..	पयागपुर	कार्यपूर्ण
7	गया प्रसाद	..	चमार	बनकटा	1,000	..	,,	,,
8	सूरतराम	..	चमार	दीननामगढ़	1,000	..	इकौना	,,
9	लालमन	..	पासी	,,	1,000	..	,,	,,
10	शिवरतन	..	चमार	इटौझा	1,000	..	,,	,,
11	रामनारायण	..	कोरी	रहेवबिसुनपुर	1,000	..	चित्तौरा	,,
12	बाबादीन	..	पासी.	,,	1,000	..	,,	,,
13	हरिभजन	..	चमार	फतेहपुर	1,000	..	,,	,,
14	रामसरन	..	पासी	ताजखुदाई	1,000	..	,,	,,

अतारांकित प्रश्न नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
15	आपत्त ..	चमार	निठिया	900	100	विशेश्वरगंज	अपूर्ण
16	गुप्तार ..	पासी	चनियाकेट	1,000	..	,,	पूर्ण
17	गोगोदीन ..	पासी	बालानगर	1,000	..	,,	,,
18	छोटेलाल ..	पासी	मटखनवा	1,000	..	हरिहरपुररानी	,,
19	मोहन ..	पासी	शिवाजीत	800	200	,,	अपूर्ण
20	रूपरानी ..	पासी	बहादुर चक्र	1,000	..	चितौरा	पूर्ण
21	बिडारी ..	पासी	रहवा बिसुनपुर	850	150	,,	अपूर्ण
22	सन्तराम ..	पासी	मेंवाडा	1,000	..	हरिपुररानी	पूर्ण
23	सेराम ..	थारू	ढोंपुरवा	1,400	200	सिरसिया	अपूर्ण
24	गंगाराम ..	थारू	मोतीपुर	1,300	300	,,	,,
25	बहादुर ..	थारू	मचकाही	1,400	200	,,	,,

वर्ष 1974–75

26	अशर्फी लाल ..	चमार	अन्चरपुरवा	500	500	इकोना	अपूर्ण
27	रानलखन ..	चमार	दहीराकल्याण	500	500	,,	,,
28	मूने ..	चमार	मदनगरा	500	500	,,	,,
29	सुकई ..	बसफोर	इकोना	..	1,000	,,	,,
30	बाबू लाल ..	चमार	गिलौला	500	500	गिलौला	,,
31	श्रीमती नगीना ..	पासी	ददौला	500	500	,,	अपूर्ण
32	जग्गू ..	पासी	नारोनपुर	500	500	,,	अपूर्ण
33	बुधई ..	कोरी	सहपुर टीतिया	1,000	..	गिलौला	पूर्ण
34	सीताराम	पासी	इमलियागंज	1,000	..	प्रयागपूर	पूर्ण
35	जटाशंकर ..	पासी	गुलबरिया	900	100	,,	अपुर्ण

36	मथुरा	..	चमार	महोबारी	900	100	मौहवारी	,,
37	पंचम	..	चमार	बीरपुर	500	500	प्रयागपूर	;;
38	जगदेव प्रसाद	..	कोरी	पूरेखरी	500	500	हरिहरपुररानी	;;
39	मिश्रीलाल	..	चमार	लालपुर महरी	900	100	;;	अपूर्ण
40	राम खेलावन	..	पासी	बिडहवा	500	500	;;	;;
41	रामधीरज	..	धोबी	चौलाही	500	500	;;	;;
42	राम हरख	..	पासी	बसन हरा कौठार	500	500	विशेश्वरगंज	अपूर्ण
43	बुधई	..	पासी	बसने	500	500	;;	;;
44	बिन्द्रा	..	पासी	पसपुरवा	500	500	;;	अपूर्ण
45	ओरी लाल	..	चमार	फतेहपुर भरथा-वाली	500	500	सिसिया	,,
46	दुर्गा	..	पासी	गुरवांगांव	500	500	;;	,,
47	कुइला	..	पासी	चिलहरिया	500	500	;;	;;
48	रामगुलाम	..	पासी	डीहा	1,000	..	चित्तौड़ा	पूर्ण
49	साकिशन	..	धोबी	बेचहुआपुरैनी	1,000	..	;;	;;
50	सोबू	..	थारू	कटकोइयां	..	1,600	सिरिसिया	पूर्ण
51	पूनाराम	..	थारू	,,	..	1,600	;;	;;
52	चम्पा देवी	..	चमार	मुज्बजीरबाग	500	500	शहर बहराइच	अपूर्ण
53	सोनिया	..	बाल्मीकी	,,	500	500	;;	,,
54	रामऔतार	..	चमार	,,	500	500	;;	,,
55	सूरज लाल	..	धोबी	बड़ीहाट	500	500	;;	,,
56	कल्लू राम	..	डोम	नाजिरपरा	500	500	;;	,,
57	भगवती	..	चमार	वक्शीपुरा	500	500	;;	अपूर्ण

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश पत्रिका

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 470 पर)

बहराइच जनपद के सिरसिया विकास खंड — 1971 से अब तक (31 मार्च, 76 तक)

क्रम-सं0	विकास खंड सिरसिया के गांवों का नाम जहां जनजाति, थारू जाति निवास करती है	गांव में थारू जन-जाति की जनसंख्या	योजना का नाम	वर्ष 71–72 सहायता की धन-राशि	वर्ष 71–72 प्राप्त लक्ष्य	72–73 सहायता की धनराशि	72–73 प्राप्त लक्ष्य	73–74 सहायता की धनराशि	73–74 प्राप्त लक्ष्य	74–75 सहायता की धनराशि	74–75 प्राप्त लक्ष्य	75–76 सहायता की धनराशि	75–76 प्राप्त लक्ष्य	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	मोतीपुर ..	480	शैक्षिक ..	..	..									
			पूर्वदशम कक्षायें ..	..	..									
2	रमयापुर ..	296	छात्रवृत्ति तथा ..	..	..	1,408	122	29,22.00	102	4,428.00	135	5,124.00	101	
3	ढोढपुरवा ..	360	पाठ्य पुस्तकीय सहायता	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
4	झूटकड़ी ..	360	2–निःशुल्क शिक्षा से घाटे की प्रतिपूर्ति	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
5	रसलपुर ..	110	दशमोत्तर कक्षाएं ..											
6	कटकुडयकिला ..	283	1–क्षात्रवृत्ति एवं पाठ्य-पुस्तकीय सहायता	..	..									
			आर्थिक उत्थान											
			1––कृषि एवं बागरानी	11000.00	22	2,000.00	4	2,500.00	5	3,000.00	3	2,000.00	2	
			2–कुटीर उद्योग ..	4000.00	8	2,500.00	5	2,500.00	5	..	..	..	..	
			3–पुर्नवासिन ..	18800.00	4	22,400.00	5	..	..	31,600.00	7	18,400.00	4	
			स्वस्थ आवास एवं रहन सहन											
			1–गृह निर्माण ..	9600.00	6	6,400.00	4	4,800.00	3	4,800.00	3	6,400.00	4	
			2–पेयजल सुविधा ..	4750.00	10	3,900.00	2	..	..	..	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 470 पर)

सूची

उत्तर

वाराणसी जनपद की तहसील ज्ञानपुर के निम्नलिखित 64 खातेदार सीलिंग अधिनियम, 1972 से प्रभावित हुये थे :—

1—श्री राजेन्द्र सिंह, सा0 प्रताप सिंह पट्टी
2—श्री महेन्द्र सिंह, ,, ,,
3—श्री हरिशंकर सिंह ,, ,, ,,
4—श्री लालता प्रसाद, ,, शेरपुर गोपलहा
5—श्री जय करन सिंह
6—श्री सूर्य मणि ,, ,, वालीपुर
7—श्री दीपनरायन सिंह ,, जोगोपुर
8—श्री भगौती ,, डोमनपुर
9—श्री कामता प्रसाद ,, कन्धिया
10—श्री फकीर सिंह ,, गोरापार
11—श्री हौसिला प्रसाद ,, समयाखास
12—श्री राम रूचि ,, ,,
13—श्री उदित नरायन ,, वेगवा
14—श्री धनेसरा, ,, डोप
15—श्री विश्वनाथ सिंह ,, जुडांव
16—श्री रघुनाथ सिंह ,, लोकमनपुर
17—श्री रामगिर, ,, महदेवा
18—श्रीमती कलावती ,, इनरगांव
19—श्री गजाधर प्रसाद ,, कोढ़
20—श्री विन्देशरी नरायन ,, कौलापुर
21—श्री राजनरायन सिंह, ,, डोम
22—श्री रामराज ,, चकवेसाहू
23—श्री जोगेश्वर सिंह ,, डरेवां
24—श्री काशीनाथ ,, कठौता
25—श्री दौलत सिंह ,, रयां
26—श्री कैलाशनाथ ,, अहमदगंज
27—श्री रघुराज सिंह ,, बहुता चकडाही
28—श्रीमती लखराजी ,, रमयनपुर
29—श्री विश्वनाथ सिंह ,, बौरोवोझ
30—श्री झिलगो सिंह ,, शेरवां
31—श्रीमती गुजराती सा0 पराय क्षत्रशाह
32—श्री अजीत सिंह ,, शेरवां
33—श्री सुरेन्द्र सिंह ,, प्रतापसिंह पट्टी
34—श्री वीरेन्द्र ,, ,, ,,
35—श्री राम तवंकल ,, पूरे मटुका
36—श्रीमती दुर्गावती ,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

37--श्री विश्वनाथ सिंह	सा0	अमौली
38--श्री व्रजराज सिंह	,,	दशरथपुर
39--श्री हरिहर सिंह	,,	अमेलो
40--श्री रामदुलारे सिंह	,,	रमईपुर
41--श्री हनुमन्त सिंह	,,	महासिंह पट्टी
42--श्री शारदा प्रसाद	,,	भगवानपुर
43--श्री विन्देश्वरी सिंह	,,	अमोली
44--श्री जीतेन्द्र बहादुर सिंह,	,,	चकवेसहू
45--श्री हृदय नरायन सिंह	,,	डेरवा
46--श्री प्रेम बहादुर सिंह,	,,	शेरवां
47--श्री रामअधार सिंह	,,	शेरवां
48--श्री अवध नरायन सिंह	,,	,,
49--श्री अकवाल बहादुर सिंह	,,	,,
50--श्री भगवती प्रसाद	,,	नारेपार
51--श्री शिव शंकर सिंह	,,	शेरवां
52--श्री राधेश्याम	,,	खेवखर
53--श्री अकवाल नरायन सिंह	,,	मगोपट्टी
54--श्री हरी प्रसाद	,,	नारेपार
55--श्री आदित्य नरायन	,,	जोगापुर
56--श्री गुप्तेश्वर प्रसाद	,,	डेरवां
57--श्री बृज भूषण सिंह	,,	शेरवां
58--श्री रामप्यारे सिंह	,,	,,
59--श्री घनश्याम	,,	खेवखर
60--श्री अमरनाथ सिंह,	,,	रयां
61--श्री शिलवन्ता सिंह	सा0	रयां
62--श्री भगौती प्रसाद	सा0	जाहिदपुर
63--श्री झुरू सिंह	सा0	चकघनश्याम
64--श्री कामता प्रसाद	सा0	शेरवां

पी0 एस0 यू0 पी0--एल0 101 वि0 सभा--(211)--1976--840